2014 का विधेयक संख्यांक 191

[दि इलैक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014

विद्युत अधिनियम, 2003
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

2003 का 36

5

2. विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(1क) ''अनुषंगी सेवाओं'' से, विद्युत प्रणाली या ग्रिड प्रचालन के संबंध में, विद्युत क्वालिटी, ग्रिड की विश्वसनीयता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विद्युत प्रणाली या ग्रिड प्रचालन के अवलंब के लिए आवश्यक सेवाएं अभिप्रेत हैं;';

(ii) खंड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(2क) ''वितरण क्षेत्र'' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत का वितरण करने के लिए प्राधिकृत है;';

(iii) खंड (3) में, ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) खंड (8) में, ''सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से'' शब्दों के पश्चात् ''ऐसे निबंधनों और शर्तों के अनुसार, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर विहित की जाएं,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(v) खंड (12) में , ''जो साथ-साथ'' शब्दों के पश्चात्, ''प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(vi) खंड (15) के पश्चात् , निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(15क) ''विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन'' से उत्पादन के स्थान पर या उसके निकट अंत्य उपयोग के लिए वायु, लघु जल विद्युत, सौर, जैव-प्रपुंज, जैव-गैस, जैव-ईंधन, किसी प्रकार के अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत नगरपालिक और ठोस अपशिष्ट भी है, भू-ताप, मिश्रज शक्ति प्रणाली से या ऐसे अन्य स्रोतों द्वारा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विद्युत उत्पादन अभिप्रत है;';

(vii) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(16) ''समर्पित पारेषण लाइनों'' से बिंदु से बिंदु तक पारेषण के लिए ऐसी कोई त्रैज्य विद्युत प्रदाय लाइन अभिप्रेत है, जो किसी आबद्ध उत्पादन संयंत्र या उत्पादन केन्द्र को, यथास्थिति, किसी पारेषण लाइन या उप-केन्द्र या स्विचन केन्द्र या उत्पादन केन्द्र या भार केन्द्र के साथ इस शर्त के अधीन संयोजित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है कि ऐसी लाइन ग्रिड के साथ लूप का रूप नहीं लेगी और उसमें समुचित आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही हिस्सा बंटाया जाएगा, अन्यथा नहीं;';

(viii) खंड (17) में, ''अपने प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत का प्रदाय करने के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''उसके वितरण क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत के प्रदाय को समर्थ बनाने के लिए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ix) खंड (17) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(17क) ''वितरण'' से वितरण प्रणाली के प्रयोग द्वारा विद्युत का प्रवहण अभिप्रेत है;';

(x) खंड (23) के उपखंड (क) में, '' प्रदाय की गई'' शब्दों के स्थान पर ''वितरित, प्रदाय की गई'' शब्द रखे जाएंगे;

(xi) खंड (23) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(23क) ''विद्युत वितरण कोड'' से धारा 50 में विनिर्दिष्ट विद्युत वितरण कोड अभिप्रेत है;';

(xii) खंड (24) में, ''50'' अंकों के स्थान पर, ''51छ'' अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(xiii) खंड (25) के उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(खक) वितरण प्रणाली; या;'';

1956 का 1

(xiv) खंड (31) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45)'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

2013 का 18

(xv) खंड (35) में, ''उच्च वोल्टता लाइन'' शब्दों के स्थान पर, ''उच्च वोल्टता लाइन या उच्च दाब केबल'' शब्द रखे जाएंगे;

(xvi) खंड (35) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(35क) ''आश्रयी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी'' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे प्रदाय कृत्य और व्यापारिक कार्य, उनसे भिन्न, जो मध्यवर्ती कंपनी में निहित हों, धारा 131 की उपधारा (4क) के अधीन निहित किए जाते हैं;

'(35ख) ''मध्यवर्ती कंपनी'' से ऐसी इकाई अभिप्रेत है, जो धारा 131 की उपधारा (4क) के अनुसार पुनर्गठन पर सुसंगत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्यमान विद्युत क्रय करारों और उपापन ठहरावों की उत्तरवर्ती बनती है;';

(xvii) खंड (41) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(41) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से कोई ऐसा नगरीय स्थानीय निकाय या ग्रामीण स्थानीय निकाय या पत्तन आयुक्तों का निकाय या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध सौंपा गया है;';

(xviii) खंड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(46क) ''आबद्धकर इकाई'' से वितरण अनुज्ञप्तिधारी या ऐसा, यथास्थिति, आबद्ध विद्युत संयंत्र का स्वामित्व रखने वाला उपभोक्ता या निर्बाध पहुंच वाला उपभोक्ता अभिप्रेत है जिसे ऐसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रतिनिधिक किसी बाजार उपकरण से विद्युत उपाप्त करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 86 के अधीन समादेश दिया गया है;';

(xix) खंड (57) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(57क) ''नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत'' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लघु जल विद्युत, वायु, सौर, जैव-प्रपुंज, जैव-ईंधन, जैव-गैस, इन स्रोतों से सह-उत्पादन, अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत नगरपालिक और ठोस अपशिष्ट भी है, भू-तापीय, ज्वारीय, सामुद्रिक ऊर्जा प्ररूप और ऐसे अन्य स्रोत अभिप्रेत हैं, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''लघु जल विद्युत'' पद से ऐसी क्षमता का जल विद्युत उत्पादन केन्द्र अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ अधिसूचित क्षमता से अधिक का न हो;

'(57ख) ''नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी'' से ऐसी कोई ऊर्जा सेवा कंपनी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध कराती है;';

(xx) खंड (61) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(61क) ''स्मार्ट ग्रिड'' से ऐसा वैद्युत नेटवर्क अभिप्रेत है जिसमें सूचना एकत्र करने के लिए और जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में दक्षता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता और संधार्यता में सुधार लाने के लिए स्वचालित रूप में बोधगम्य रूप से कार्य करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का तथा ऐसी अन्य सूचना का प्रयोग किया जाता है जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए;';

(xxi) खंड (70) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(70क) ''प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 14 के अधीन उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत है और इसके अंतर्गत आश्रयी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी भी है;

(70ख) ''अंतिम उपाय प्रदाता'' से ऐसा प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है जिसे समुचित आयोग द्वारा, समय-समय पर, ऐसा अभिहित किया जाए;';

(xxii) खंड (71) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु दूरसंचार के लिए विद्युत प्रणाली में हिस्सा बंटाने और उसका प्रयोग किए जाने का अर्थान्वयन इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए व्यापार के रूप में नहीं किया जाएगा;'';

(xxiii) खंड (72) में, ''जो एक उत्पादन केन्द्र'' शब्दों के पश्चात्, ''या उप-केन्द्र'' शब्द अन्त:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना।

''3. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय पदार्थों या सामग्री, जल विद्युत जैसे संसाधनों के और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अधिकतम उपयोग पर आधारित विद्युत प्रणाली के विकास के लिए तथा स्मार्ट ग्रिड, अनुषंगी सेवाओं और विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन आदि का संवर्धन करने और प्रदाय कृत्यों तथा उपायों को पृथक् करने के लिए राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से, राष्ट्रीय विद्युत नीति, टैरिफ नीति और राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति तैयार करेगी, उसका पुनर्विलोकन करेगी और उसे अधिसूचित करेगी।

(2) प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय टैरिफ नीति तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित करेगा :

परंतु प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत योजना को तैयार करते समय, राष्ट्रीय विद्युत योजना का प्रारूप प्रकाशित करेगा और उस पर अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियों और जनता से सुझाव और आक्षेप, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, आमंत्रित करेगा :

परंतु यह और कि प्राधिकरण,—

(क) केंद्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् योजना को अधिसूचित करेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों, यदि कोई हो, को उसमें सम्मिलित करते हुए उस योजना का पुनरीक्षण करेगा।

(3) प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकेगा।

(4) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों से ऐसे परामर्श के पश्चात्, जो आवश्यक समझा जाए, नीतियां अधिसूचित कर सकेगी और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का, कर रिबेट, उत्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन देकर, राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा निधि का सृजन करके, नवीकरणीय उद्योग का विकास करके, संवर्धन करने के लिए तथा ऐसे उपायों के प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन और प्रवर्तन के लिए उपाय अंगीकार कर सकेगी।''।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में, ''एकल आधार प्रणालियों को अनुज्ञात करते हुए,'' शब्दों के स्थान पर, ''गैर-विद्युत वाले ग्रामीण गृहों को विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए सौर शक्ति और नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य रूपों को कार्य में लाने के लिए तथा एकल आधार प्रणालियों को अनुज्ञात करते हुए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 में, ''सभी क्षेत्रों में'' शब्दों के स्थान पर, ''देश के सभी भागों में'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

उत्पादन कंपनी और उत्पादन केन्द्र की स्थापना करने की अपेक्षा।

'7. (1) कोई उत्पादन कंपनी, यदि वह धारा 73 के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड से कनेक्शन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केन्द्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है :

परन्तु किसी उत्पादन कंपनी से प्रणाली प्रदाता द्वारा ऐसी क्षमता की चक्रण आरक्षिति को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, बनाने और उसका अनुरक्षण करने की अपेक्षा की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि कोई उत्पादन कंपनी किसी उत्पादन केन्द्र की क्षमता को स्थापित करने और उसका विस्तार करने के पूर्व एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और उसके बारे में प्राधिकरण को सम्यक् रूप से सूचित करेगी।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, ''चक्रण आरक्षिति'' से उत्पादन केन्द्र की ऐसी संधार्य क्षमता अभिप्रेत है, जो ग्रिड की सुरक्षा और उसे रक्षित बनाए रखने के लिए प्रणाली प्रचालक के निदेशों पर ऐसे समय के भीतर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी उत्पादन कंपनी से, अधिसूचित की जाने वाली तारीख के पश्चात् और रीति से कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय उत्पादन क्षेत्र की स्थापना करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को, जो तापीय शक्ति प्रतिष्ठापित क्षमता के दस प्रतिशत से कम नहीं होगी, स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी।

(3) यदि कोई विद्यमान कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय शक्ति उत्पादन केन्द्र, विद्यमान विद्युत क्रय करारों के अधीन विद्युत उपापनकर्ताओं की सहमति से, अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की स्थापना करने का विकल्प अपनाता है तो उससे उत्पादित ऊर्जा को ऐसे मामलों में समुचित आयोग द्वारा समूहित करने तथा उसका प्रदाय करने की अनुज्ञा दी जाएगी और बाध्यकर इकाइयां, जो अंततः ऐसी शक्ति का क्रय करती हैं, उसका अपनी नवीकरणीय क्रय बाध्यताओं के मद्दे हिसाब रखेंगी।'।

धारा 8 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''जल विद्युत उत्पादन केन्द्र'' शब्दों के पश्चात् ''जिसके

अंतर्गत विद्युत उत्पादन सहित बहुप्रयोजनीय जल विद्युत सुविधाएं भी हैं'', शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) परियोजना द्वारा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखा जाना चाहिए;''।

धारा 12 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 12 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विद्युत का पारेषण, प्रदाय, आदि किया जाना।

''12. (1) कोई भी व्यक्ति—

(क) विद्युत का पारेषण; या

(ख) विद्युत का वितरण; या

(ग) विद्युत का व्यापार; या

(घ) उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय,

तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है या धारा 13 के अधीन छूट प्रदान नहीं कर दी जाती है :

परन्तु किसी उत्पादन कंपनी, आबद्ध उत्पादन संयंत्र या व्यापार अनुज्ञप्तिधारी से किसी स्थापन में निर्बाध पहुंच वाले उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय करने के लिए अनुज्ञप्ति लेने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती कंपनी को समनुदिष्ट क्रियाकलापों के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) समुचित आयोग, वितरण के किसी क्षेत्र में एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं करेगा :

परन्तु जहां विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख को वितरण के उसी क्षेत्र के भीतर दो या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान हैं, वहां वे अपना प्रचालन उस अवधि तक जारी रखेंगे जो उनकी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट हो ।

(3) उपधारा (2) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, समुचित आयोग के परामर्श से, लोकहित में, एक से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को किसी क्षेत्र में, प्रचालन की, यदि ऐसा आवश्यक समझा जाए, अनुज्ञा दे सकेगी ।''।

धारा 14 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना।

''14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए—

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए :

परंतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किसी विशेष आर्थिक जोन का विकासकर्ता इस खंड के प्रयोजन के लिए, ऐसे विशेष आर्थिक जोन की अधिसूचना की तारीख से, अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा: 2005 का 28

परंतु यह और कि ऐसा विकेन्द्रीकृत वितरण उत्पादन नेटवर्क जो किसी वितरण प्रणाली से संबद्ध नहीं है, उस क्षेत्र में वितरण प्रणाली के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की दशा में भी, वितरण प्रणाली से संबद्ध हुए बिना प्रचालन कर सकेंगे; या

(ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए, या

(घ) किसी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत प्रदाय करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा :

परंतु नियत तारीख को या उसके पूर्व निरसित विधियों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या अधिनियम के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति, समाशोधन या अनुमोदन में अनुबंधित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या ऐसे अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि या ऐसी पूर्वतर अवधि के लिए, जो अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागू होंगे और उसके पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कारबार को लागू होंगे :

परंतु यह और कि विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले विद्युत वितरण के कारबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार धारा 131 की उपधारा (4क) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन अंतरण स्कीम के प्रभावी रहने तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में और प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के रूप में भी प्राधिकार प्राप्त है, तदुपरि वितरण और प्रदाय कारबार ऐसी रीति में किया जाएगा जो उक्त अन्तरण स्कीमों में अनुबद्ध है :

परंतु यह भी कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को इस अधिनियम के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा :

परन्तु यह भी कि यदि समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ या उसके पश्चात् विद्युत का पारेषण करती है या विद्युत का वितरण या प्रदाय करती है या विद्युत में व्यापार करती है तो ऐसी सरकार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझी जाएगी किन्तु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

1989 का 24
2002 का 60

परंतु यह भी कि भारतीय रेल अधिनियम, 1989 के अधीन यथापरिभाषित रेल और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के अधीन स्थापित मेट्रो रेल निगम को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा तथा इस अधिनियम के अधीन उससे अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

1948 का 14

परंतु यह भी कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, किंतु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उस निगम को लागू होते रहेंगे :

परंतु यह भी कि सरकारी कंपनी या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) या उपधारा (4) या उपधारा (4क) में निर्दिष्ट कंपनी और अनुसूची में विनिर्दिष्ट

अधिनियमों के अनुसरण में सृजित कंपनी या कंपनियों अथवा ऐसी किसी कंपनी या किन्हीं कंपनियों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि समुचित आयोग, प्रदाय के एक ही क्षेत्र के भीतर, विद्युत का प्रदाय करने के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन अतिरिक्त अपेक्षाओं (पूंजी की अपर्याप्तता, उधारपात्रता या आचार-संहिता से संबंधित) को पूरा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार नहीं किया जाएगा कि उसी प्रयोजन के लिए उसी क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है :

परंतु यह भी कि कम से कम एक प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, सरकारी कंपनी या सरकारी नियंत्रित कंपनी होगी :

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन, वितरण और प्रदाय करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन, वितरण और प्रदाय के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किंतु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत का उत्पादन और प्रदाय करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत के ऐसे उत्पादन और प्रदाय के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किंतु वह ऐसे सभी उपाय करेगा जो धारा 53 और धारा 73 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं :

परंतु यह भी कि प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत का व्यापार आरंभ करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी धारा 13 की उपधारा (4क) के अधीन अंतरण की प्रभावी तारीख के पश्चात् विद्युत के व्यापार या प्रदाय में नहीं लगेगा :

परंतु यह भी कि यदि जहां कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने के पहले, अपने वितरण क्षेत्र के भीतर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, किसी फ्रेंचाइजी के माध्यम से विद्युत वितरण से वहां ऐसे फ्रेंचाइजी करता था संबंधित राज्य आयोग से कोई पृथक् अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस क्षेत्र में वितरण और प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान करार की समाप्ति तक उक्त वितरण क्षेत्र में विद्युत वितरण और प्रदाय के लिए उत्तरदायी होगा।''।

धारा 15 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(8) अनुज्ञप्ति पच्चीस वर्ष या उससे अधिक ऐसी अवधि के लिए, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवृत्त बनी रहेगी, जब तक कि उसे प्रतिसंहृत अथवा नवीकृत नहीं कर दिया जाता।''।

धारा 20 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 20 में,—

(क) उपधारा (1) में, —

(i) आरंभिक भाग में, ''अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करता है'' शब्दों के पश्चात् ''या जब किसी अनुज्ञप्ति की कालावधि समाप्त हो जाती है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में ''अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया गया है'' शब्दों के पश्चात् ''या समाप्त हो गया है (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् बाहर जाने वाला अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है)'' शब्द और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में ''अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण'' शब्दों के पश्चात् ''या अनुज्ञप्ति की अवधि की समाप्ति'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उपयोगिता का विक्रय किया जाता है वहां क्रेता अनुज्ञप्तिधारी को, ऐसी रीति में, जो पक्षकारों के बीच करार पाई जाए, उपयोगिता की क्रय कीमत का संदाय करेगा।'';

(ग) उपधारा (3) में ''अनुज्ञप्तिधारी'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''बाहर जाने वाले अनुज्ञप्तिधारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

वितरण अनुज्ञप्ति या प्रदाय अनुज्ञप्ति का निलंबन और उपयोगिता का विक्रय।

''24. (1) यदि समुचित आयोग की किसी समय यह राय है कि—

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को विद्युत की क्वालिटी के संबंध में मानकों के अनुरूप विद्युत के अबाधित वितरण या प्रदाय को बनाए रखने में लगातार असफल रहा है; या

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी ने समुचित आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है; या

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को तोड़ा है,

और लोकहित में ऐसा करने के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे उसके लिए आवश्यक बनाती हैं तो समुचित आयोग, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा :

परंतु इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन करने के पूर्व, समुचित आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रस्तावित निलंबन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताएं एक वर्ष से अनधिक अवधि या उस तारीख तक के

लिए, जिसको ऐसी उपयोगिता का धारा 20 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विक्रय किया जाता है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रशासक में निहित हो जाएंगी।

(3) समुचित आयोग, उपधारा (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर, या तो धारा 19 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करेगा या अनुज्ञप्ति के निलंबन का प्रतिसंहरण करेगा और उसको वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को उपयोगिता प्रत्यावर्तित करेगा, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई थी।

(4) उस दशा में जहां समुचित आयोग, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करता है वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता का धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाएगा और उपयोगिताओं के विक्रय पर प्रशासनिक और अन्य व्ययों की और ऐसी अन्य रकमों की जो अनुज्ञप्तिधारी से शोध्य हों, कटौती करने के पश्चात् कीमत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को विप्रेषित की जाएगी।''।

धारा 29 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(6) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो वह दस करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा:

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली किसी उत्पादन कंपनी द्वारा उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली ऐसी उत्पादन कंपनी एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति की दायी होगी।''।

धारा 33 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (1) के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, तो वह एक करोड़ रुपए से अनधिक की शास्ति का दायी होगा :

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली उत्पादन कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी निदेशों का अनुपालन न किए जाने की दशा में, ऐसी नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली उत्पादन कंपनी दस लाख रुपए से अनधिक की शास्ति की दायी होगी।''।

धारा 34 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

ग्रिड मानक

''34. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, समर्पित पारेषण लाइनों का स्वामित्व या अनुरक्षित करने वाला व्यक्ति तथा कोई अन्य व्यक्ति, जिसकी प्रणाली ग्रिड से संबद्ध है, ग्रिड मानकों के अनुसार पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के ऐसे तकनीकी मानकों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।''।

धारा 37 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 37 में, ''जारी कर सकेगी जो'' शब्दों के पश्चात्, ग्रिड की सुरक्षा या रक्षा के लिए और'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 38 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए,पारेषण प्रभार के संदाय पर जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और अधिभार, यदि कोई हों, राज्य के समुचित आयोग द्वारा अवधारित होगा जिसमें उपभोक्ता का परिसर अवस्थित है;''।

धारा 39 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) के खंड (घ) के उपखंड (ii)में,—

(क) ''जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि राज्य के समुचित आयोग द्वारा अवधारित किए जाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में ''राज्य आयोग'' शब्दों के स्थान पर, ''समुचित आयोग'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) तीसरे परंतुक में ''राज्य आयोग'' शब्दों के स्थान पर, ''समुचित आयोग'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 40 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 40 के खंड (ग) के उपखंड (ii) में, जो केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''जो राज्य के समुचित आयोग द्वारा जिसमें उपभोक्ता का परिसर अवस्थित है, अवधारित किए जाएं,'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 42 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य और निर्बाध पहुंच।

''42. (1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि,—

(क) वह अपने प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका अनुरक्षण करे तथा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत का प्रदाय सुलभ बनाए;

(ख) समुचित आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपनी वितरण प्रणाली में अविभेदकारी निर्बाध पहुंच उपलब्ध कराए;

(ग) ऐसे अन्य कृत्य, जो अधिनियम से असंगत न हों, करे, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) राज्य आयोग वितरण प्रणाली के उपयोग के लिए निर्बाध पहुंच ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत प्रति-सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध भी हैं) आरंभ करेगा जो नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और उत्तरोतर चरणों में निर्बाध पहुंच की सीमा को विनिर्दिष्ट करने में और चक्रण के लिए प्रभारों का अवधारण करने में, सभी सुसंगत तथ्यों पर, जिनके अंतर्गत ऐसी प्रति-सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध भी हैं, सम्यक् रूप से विचार करेगा।

(3) निर्बाध पहुंच को अधिभार का, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदेय चक्रण और ऐसे अन्य प्रभारों के, जो प्रदाय के क्षेत्र में प्रति-सहायिकी की अपेक्षा को पूरा करने के लिए राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित प्रतिकरात्मक प्रभारों के रूप में होंगे, अतिरिक्त होगा, संदाय करने पर अनुज्ञात किया जाएगा :

परंतु उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिभार और प्रति-सहायिकी में उत्तरोत्तर कमी उस रीति में की जाएगी, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यह और कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जहां निर्बाध पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

(4) ऐसे निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं से, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उपाप्त करते हैं, ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, निर्बाध पहुंच के लिए अधिभार का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, निर्बाध पहुंच वाला उपभोक्ता ऐसी न्यूनतम समयावधि की, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचना दिए बिना किसी अन्य प्रदायकर्ता को नहीं अपनाएगा।''।

धारा 43 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

21. मूल अधिनियम की धारा 43 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अनुरोध किए जाने पर कनेक्शन देने का कर्तव्य।

'43. (1) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण क्षेत्र में किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा ऐसे प्रदाय की अपेक्षा करने वाले आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् पन्द्रह दिन के भीतर विद्युत का प्रदाय सुलभ बनाने के लिए ऐसे परिसर में कनेक्शन देगा :

परंतु जहां ऐसे परिसर के कनेक्शन में वितरण की मुख्य तारों का विस्तार या नए उप-केंद्रों को आरंभ करना अपेक्षित है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विस्तार या आरंभ करने के तुरन्त पश्चात् या ऐसी अवधि के भीतर जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे परिसर को विद्युत प्रदाय करने के लिए कनेक्शन देगा :

परंतु यह और कि ऐसे ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र की दशा में, जिनमें विद्युत प्रदाय के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, समुचित आयोग उक्त अवधि को ऐसी अवधि तक विस्तारित कर सकेगा जो वह ऐसे ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''आवेदन'' से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है, जो आवश्यक प्रभारों के संदाय और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेजों सहित, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अपेक्षित समुचित प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण है।

(2) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी का, यदि अपेक्षित हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिसर में कनेक्शन देने और विद्युत प्रदाय सुलभ बनाने के लिए विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन का उपबंध करने का कर्तव्य होगा।

(3) यदि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वितरण क्षेत्र में परिसर के लिए कनेक्शन देने में असफल रहता है तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगी।'।

धारा 44 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 44 में, ''प्रदाय करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी'' शब्दों के स्थान पर ''विद्युत वितरण के लिए अनुज्ञप्तिधारी'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 45 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

23. मूल अधिनियम की धारा 45 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रभार वसूल करने की शक्ति।

''45. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए धारा 43 के अनुसरण में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत वितरण के लिए उसके द्वारा प्रभारित की जाने वाली कीमतें ऐसे टैरिफ के, जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित की जाएं और समुचित आयोग द्वारा प्राधिकृत या अन्यथा समय-समय पर नियत प्रभारों के और उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार होंगी।

(2) धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस धारा के अधीन प्रभार अवधारित करने में कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोई असम्यक् अधिमान नहीं देगा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रति विभेद नहीं करेगा।''।

नई धारा 45क का अंत:स्थापन।

24. मूल अधिनियम की धारा 45 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

विद्युत शोध्यों के साथ अन्य शोध्यों का संग्रहण और वसूली।

''45क. समुचित सरकार, समुचित आयोग और संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करने के पश्चात्, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन, विद्युत शोध्यों के साथ अन्य शोध्यों का संग्रहण और वसूली करने की रीति विहित कर सकेगी।''।

धारा 46 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(i) ''विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करने वाले'' शब्दों के स्थान पर ''वितरण प्रणाली से कनेक्शन लेने की अपेक्षा करने वाले'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''उस प्रदाय को देने'' शब्दों के स्थान पर ''विद्युत के सुलभ प्रदाय के लिए कनेक्शन देना और उसे अनुरक्षित रखने'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

धारा 47 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 47 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वितरण के क्षेत्र में कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति से, जो धारा 51क के अनुसरण में वितरण प्रणाली से कनेक्शन लेने की अपेक्षा करता है, उसको ऐसी युक्तियुक्त प्रतिभूति जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, उसे ऐसे धन के संदाय के लिए, देने की अपेक्षा कर सकेगा, जो निम्नलिखित के लिए उसको देय हो जाए,—

(क) ऐसे व्यक्ति को वितरित की गई विद्युत की बाबत; या

(ख) जहां ऐसे व्यक्ति को विद्युत वितरण के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाना है वहां ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर की व्यवस्था करने की बाबत,

और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझे, उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, विद्युत का वितरण करने से या लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध कराने से इंकार कर सकेगा।'';

(ii) उपधारा (2) में, ''विद्युत के प्रदाय'' शब्दों के स्थान पर ''विद्युत के वितरण'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (3) में, ''विद्युत के प्रदाय'' शब्दों के स्थान पर ''विद्युत के वितरण'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 48 में,—

(i) आरंभिक भाग में ''विद्युत के प्रदाय'' शब्दों के स्थान पर ''विद्युत के वितरण'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में अंत में आने वाले ''प्रदाय'' शब्द के स्थान पर ''वितरित'' शब्द रखा जाएगा।

धारा 49 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

विद्युत के प्रदाय या क्रय की बाबत करार।

''49. (1) विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से एक मेगावाट और उससे अधिक भार का विद्युत प्रणाली के साथ कनेक्शन लेने वाले सभी उपभोक्ता अपने विकल्प पर किसी उत्पादक कंपनी, व्यापार करने वाले अनुज्ञप्तिधारी से या किसी अन्य स्रोत से द्विपक्षीय करार के अधीन निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत उपाप्त कर सकेंगे।

(2) धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (घ) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में वर्णित उपभोक्ता किसी व्यक्ति के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर (टैरिफ सहित), जो उनके द्वारा करार पाई जाएं, विद्युत के प्रदाय या क्रय के लिए करार कर सकेंगे।''।

धारा 50 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

29. मूल अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी अर्थात्:—

विद्युत वितरण कोड।

''50. राज्य आयोग विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिलों के अंतरालों, प्रभारों के असंदाय के लिए विद्युत कनेक्शन को काटने, विद्युत प्रदाय के प्रत्यावर्तन, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए उपाय, कनेक्शन को काटने और मीटर को हटाने के लिए, विद्युत अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्रों या मीटर को बदलने, परिवर्तित करने या उनके अनुरक्षण के लिए और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए एक विद्युत वितरण कोड विनिर्दिष्ट करेगा।''।

नए भाग 6क और धारा 51क से धारा 51छ का अंत:स्थापन।

30. मूल अधिनियम के भाग 6 के पश्चात् निम्नलिखित भाग और धाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''**भाग 6क**

विद्युत का प्रदाय

प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य।

51क. (1) प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित प्रदाय क्षेत्र में विद्युत का प्रदाय करें :

परंतु प्रदाय की बाध्यता का पदधारी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को अंतरण किए जाने तक विद्यमान वितरण अनुज्ञप्तिधारी की, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रदाय क्षेत्र में विद्युत का प्रदाय, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के उन्हीं अधिकारों, विशेषाधिकारों और कर्तव्यों के साथ जारी रखने की बाध्यताएं होंगी।

(2) समुचित राज्य सरकार, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर जो समुचित राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार के परामर्श से विनिश्चित करे, विद्युत के वितरण और प्रदाय को पृथक् करने का उपबंध कर सकेगी और ऐसे प्रयोजन के लिए समुचित अंतरण स्कीम जारी कर सकेगी और धारा 131 के उपबंधों के अनुसार क्रमश: प्रदाय कृत्य पदधारी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी में और विद्यमान विद्युत क्रय करार तथा उपापन ठहराव मध्यवर्ती कंपनी में निहित कर सकेगी।

अनुरोध किए जाने पर प्रदाय का कर्तव्य।

51ख. (1) उपभोक्ता द्वारा यथा चयनित प्रदाय, अनुज्ञप्तिधारी, धारा 43 के निबंधनों के अनुसार किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी के आवेदन पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस परिसर को दिए जा रहे कनेक्शन के पंद्रह दिन के भीतर व्यक्ति द्वारा यथा अपेक्षित विद्युत का प्रदाय प्रारंभ करेगा :

परंतु पदधारी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी का केंद्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के भार कारक पर आधारित लगातार विद्युत प्रदान करने का कर्तव्य होगा।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय प्रदाय के क्षेत्र में के किसी उपभोक्ता के पास ऐसी रीति मे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए, उसके स्वामित्व या अधिभोग वाले क्षेत्र में के परिसर को विद्युत का प्रदाय करने के लिए प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों को चुनने का विकल्प होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''आवेदन'' से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है जो आवश्यक प्रभारों के संदाय और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेजों सहित प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अपेक्षित समुचित प्ररूप में, सभी प्रकार से पूर्ण हो :

परंतु यदि उपभोक्ता द्वारा चुना गया प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी नहीं रहता है या अन्यथा उसकी अनुज्ञप्ति को किसी भी कारण से, चाहे वह कुछ भी हो, निलंबित कर दिया जाता है, तो अंतिम उपाय प्रदायकर्ता के प्रदाय क्षेत्र में, उपभोक्ता को विद्युत का प्रदाय करने की बाध्यता होगी।

(3) प्रत्येक प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विद्युत का क्रय करने, जिसके अंतर्गत मध्यवर्ती कंपनी से विद्युत का विश्वसनीय और अबाधित प्रदाय करने के उद्देश्य से उपापन भी है, की व्यवस्था करे।

(4) यदि प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) में यथा वर्णित अवधि के भीतर विद्युत का प्रदाय करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति का, जो व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

विद्युत का प्रदाय करने के कर्तव्य से छूट।

51ग. धारा 51ख की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि उसमें प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी से प्रदाय के अपने क्षेत्र में किसी परिसर को विद्युत का प्रदाय करने की, यदि वह चक्रवात, बाढ़, तूफान या उसके नियंत्रण के परे की अन्य घटनाओं के कारण ऐसा करने से निवारित होता है, अपेक्षा की गई है।

प्रभार वसूल करने की शक्ति।

51घ. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, धारा 51ख के अनुसरण में उसके द्वारा विद्युत के प्रदाय के लिए प्रभारित की जाने वाली कीमतें समय-समय पर नियत ऐसे टैरिफ तक उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार होंगी।

(2)किसी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय क्षेत्र में प्रदाय की गई विद्युत के लिए प्रभार—

(क) ऐसी पद्धतियों और सिद्धांतों के अनुसार नियत किए जाएंगे जो संबंधित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) ऐसी रीति में प्रकाशित किए जाएंगे जिससे कि ऐसे प्रभारों और कीमतों का समुचित प्रचार हो सके।

(3) किसी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय क्षेत्र में प्रदाय किए गए विद्युत के प्रभारों में वस्तुत: प्रदाय किए गए विद्युत के प्रभार के अतिरिक्त नियत प्रभार सम्मिलित किया जा सकेगा।

(4) धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन प्रभारों को नियत करने में प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के प्रति असम्यक् अधिमान या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के विरुद्ध विभेद दर्शित नहीं करेगा।

(5) किसी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत किए गए प्रभार बाजार के अनुसार अवधारित किए गए होंगे:

परंतु समुचित आयोग मानकीय खर्चों और कार्य संपादन के स्तरमानों के आधार पर अधिकतम प्रभार सीमा, धारा 62 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन रहते हुए, अवधारित करेगा:

परंतु यह और कि प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी अधिकतम प्रभार सीमा से, जो किसी प्रवर्ग के सभी व्यक्तियों को लागू हों, अधिक रकम प्रभारित नहीं करेगा।

(6) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी अधिकतम प्रभार सीमा से अधिक रकम, जो किसी उपभोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से करार पाई जाए, समुचित आयोग के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्रभारित करने का हकदार होगा।

प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति।

51ङ. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको धारा 51ख के अनुसरण में विद्युत का प्रदाय किया जाना अपेक्षित है, ऐसी सभी धनराशि का, जो उसे ऐसे व्यक्ति को प्रदाय की गई विद्युत के संबंध में शोध्य हो, संदाय करने के लिए ऐसी युक्तियुक्त प्रतिभूति, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, देने की अपेक्षा कर सकेगा; और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो प्रदाय क्षेत्र का अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझे, उस अवधि के लिए, जिसके दौरान ऐसी आवश्यकता जारी रहती है, विद्युत का प्रदाय करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को उपधारा (1) में यथावर्णित ऐसी प्रतिभूति नहीं दी है या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गई है, वहां प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से, सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर, ऐसी सभी धनराशि का, जो उसे विद्युत के प्रदाय के संबंध में शोध्य हो, संदाय करने के लिए युक्तियुक्त प्रतिभूति उसे देने की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझे, ऐसी अवधि के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, विद्युत का प्रदाय बंद कर सकेगा।

(4) प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति पर बैंक दर के प्रतिनिर्देश करके या उससे अधिक ब्याज का, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संदाय करेगा और उस व्यक्ति के, जिसने ऐसी प्रतिभूति दी है, अनुरोध पर ऐसी प्रतिभूति का प्रतिदाय करेगा।

(5) प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (1) के खंड (क) के अनुसरण में, प्रतिभूति की, उस दशा में, यदि प्रदाय की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति, पूर्व-संदाय मीटर के माध्यम से प्रदाय लेने के लिए तैयार है, अपेक्षा करने का हकदार नहीं होगा।

प्रदाय के अतिरिक्त निर्बंधन।

51च. प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी व्यक्ति से, जो धारा 51ख के अनुसरण में विद्युत का प्रदाय करने की अपेक्षा करता है,—

(क) ऐसे किन्हीं निर्बंधनों को स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को धारा 53 के अधीन बनाए गए विनियमों का अनुपालन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए अधिरोपित किए जाएं;

(ख) ऐसे किन्हीं निर्बंधनों को स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा जो उस व्यक्ति की, जिसको विद्युत का प्रदाय किया जाता है, उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुई आर्थिक हानि के लिए प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के दायित्व को निर्बंधित करते हैं।

विद्युत प्रदाय कोड।

51छ. राज्य आयोग विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिल के अंतराल, प्रदाय संबंधी संदाय न करने के लिए विद्युत प्रदाय को बंद किए जाने, अप्राधिकृत उपयोग तथा विद्युत की चोरी के लिए निर्धारण, विद्युत प्रदाय की बहाली और ऐसे अन्य विषयों के लिए उपबंध करने हेतु एक विद्युत प्रदाय संविदा विनिर्दिष्ट करेगा।''।

नए भाग 6ख और धारा 51ज का अंत:स्थापन।

31. मूल अधिनियम के भाग 6क के पश्चात्, जो इस प्रकार अंत:स्थापित किया गया है, निम्नलिखित भाग और धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''**भाग 6ख**

विद्युत के वितरण और प्रदाय के संबंध में अन्य उपबंध

उपभोक्ता शिकायत का निवारण।

51ज. (1) यथास्थिति, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी प्रदाय क्षेत्र में प्रदाय करने की बाध्यता है, नियत तारीख या अनुज्ञप्ति दिए जाने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, से छह मास के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों को, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, दूर करने के लिए एक मंच स्थापित करेगा।

(2) ऐसा कोई उपभोक्ता, जो उपधारा (1) के अधीन अपनी शिकायत के दूर न किए जाने से व्यथित है, अपनी शिकायत को दूर किए जाने के लिए राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या अभिहित किए जाने वाले प्राधिकारी को, जो ओम्बड्समैन के नाम से ज्ञात होगा, व्यपदेशन कर सकेगा।

(3) ओम्बड्समैन उपभोक्ता की शिकायत का ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निपटारा करेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले नहीं होंगे, जो उपभोक्ता के उन उपधाराओं द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त हों।''।

धारा 54 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में, परंतुक में ''ट्राम पर यात्रियों'' के स्थान पर ''ट्राम पर या भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के अधीन भूमिगत रेल'' शब्द रखे जाएंगे।

2002 का 60

धारा 55 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट स्मार्ट मीटर उत्पादन के बिंदु से विद्युत को ऐसे उपभोक्ता तक, जो एक मास में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित विद्युत की मात्रा से अधिक का उपभोग करते हैं, मीटर लगाने और उपभोग के प्रत्येक प्रयोग के लिए समुचित लेखांकन और मापमान के प्रत्येक प्रक्रम पर प्रतिष्ठापित किए जाएंगे।''।

धारा 56 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) इस धारा की किसी बात में, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी से, पूर्व संदाय मीटर की दशा में, उपभोक्ता द्वारा विद्युत परिमाण से अधिक का पूर्व संदाय किए जाने की दशा में, विद्युत प्रदाय बंद करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।''।

नई धारा 59क का अंत:स्थापन।

35. मूल अधिनियम की धारा 59 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए समुचित सरकार की सिफारिश।

''59क. यदि समुचित सरकार के समक्ष कोई परिवाद फाइल किया जाता है और यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी ने, समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य संपादन के स्तरमानों को देखते हुए अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य संपादन नहीं किया है, तो समुचित सरकार उक्त अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने की सिफारिश कर सकेगी।''।

धारा 61 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 61 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और—

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(i) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(घ) उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण और साथ ही अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा, धारा 62 के अधीन अवधारित टैरिफ के संदर्भ में किसी राजस्व घाटे के बिना, विद्युत की लागत की वसूली:

परंतु विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व, राजस्व घाटे को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से वसूल किया जाएगा, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किया जाएगा;'';

(ii) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों और जल शक्ति से विद्युत के सह-उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन;'';

(iii) खंड (झ) में ''और टैरिफ नीति'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, टैरिफ नीति के उपबंधों का समुचित आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण के प्रयोजन के लिए अनुसरण किया जाएगा।''।

धारा 62 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

37. मूल अधिनियम की धारा 62 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

टैरिफ का अवधारण।

''62. (1) समुचित आयोग निम्नलिखित के लिए इस अधिनियम के अनुसार टैरिफ अवधारित करेगा—

(क) मध्यवर्ती कंपनी, विद्युत व्यापारी या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को अंतर्वलित करने वाले पृष्ठ भाग से पृष्ठ भाग तक इंतजाम के अधीन विद्युत प्रदाय सहित प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को किसी उत्पादन कंपनी द्वारा विद्युत का प्रदाय:

परंतु समुचित आयोग विद्युत प्रदाय की कमी की दशा में, विद्युत की युक्तियुक्त कीमतें सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी के बीच या अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किए गए करार के अनुसरण में विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए टैरिफ की न्यूनतम और अधिकतम सीमा नियत कर सकेगा:

परंतु यह और कि इस खंड के अधीन समुचित आयोग द्वारा टैरिफ का ऐसा कोई अवधारण उस सीमा तक जिस तक केन्द्रीय सरकार यह विहित करती है कि प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिज्ञात स्त्रोतों से विद्युत का उपापन धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा किया जाएगा;

(ख) मध्यवर्ती कंपनी से प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत का क्रय;

(ग) विद्युत का पारेषण;

(घ) विद्युत का चक्रण;

(ङ) विद्युत का खुदरा विक्रय:

परंतु यह कि विद्युत के खुदरा विक्रय के लिए अवधारित टैरिफ उपभोक्ताओं की अपने-अपने प्रवर्गों के लिए अधिकतम टैरिफ सीमा होगी, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी उपधारा (3) के अधीन रहते हुए और, यथास्थिति, मध्यवर्ती कंपनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनी को संदाय करने की प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यता को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना भी अधिकतम सीमा टैरिफ से अन्यून रकम पर किसी उपभोक्ता प्रवर्ग से वसूल करने का हकदार होगा।

(2) किसी अनुज्ञप्तिधारी के लिए समुचित आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ समुचित कीमत समायोजन सूत्र, जिसके अंतर्गत जहां कहीं लागू हों, इंधन, विद्युत क्रय और उपापन कीमत अधिभार सूत्र जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति में विनिर्दिष्ट की जाए, भी हैं, के माध्यम से टैरिफ अवधि के दौरान मासिक बिलों में समुचित आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की सभी प्रज्ञावान खर्चों की वसूली के लिए उपबंध करेगी।

(3) समुचित आयोग, ऐसे पृथक् ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी उत्पादन कंपनी से ऐसी अपेक्षा कर सकेगा जो उत्पादन, पारेषण, वितरण और टैरिफ के अवधारण के लिए प्रदाय की बाबत विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) समुचित आयोग, इस अधिनियम के अधीन, टैरिफ का अवधारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमानता नहीं दर्शाएगा किन्तु वह किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान या ऐसे समय जिस में प्रदाय की अपेक्षा की जाती है, उपभोक्ता के भार का कारण, विद्युत कारण, वोल्टेज, विद्युत का कुल उपभोग या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय की प्रकृति और प्रयोजन जिसके लिए प्रदाय की अपेक्षा की जाती है के अनुसार अंतर कर सकेगा।

(5) टैरिफ या टैरिफ का कोई भाग किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक बारंबार संशोधित न किया जाए सिवाए ऐसे इंधन, और विद्युत क्रय कीमत समायोजन की बाबत के जो ऐसे इंधन, और विद्युत क्रय कीमत समायोजन सूत्र जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की शर्तों के अधीन अनुज्ञात की जाएगी।

(6) आयोग किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकेगा जो ऐसी टैरिफ और प्रभारों, जिन्हें वसूल करने के लिए उसे अनुज्ञात किया जाता है, से प्रत्याशित राजस्वों की संगणना करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए।

(7) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, इस धारा के अधीन अवधारित टैरिफ से अधिक कीमत या प्रभार वसूल करता है, अधिक रकम ऐसे व्यक्ति द्वारा वसूलनीय होगी जिसने अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक दर के समतुल्य ब्याज सहित ऐसी कीमत या प्रभार का संदाय किया है।''।

धारा 64 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 64 में,—

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) यदि आवेदन समय पर फाइल नहीं किया जाता है तो समुचित आयोग, ऐसे फाइल किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख से तीस दिन के अपश्चात् टैरिफ के अवधारण के लिए स्वप्रेरणा से कार्यवाही आरंभ करेगा और ऐसी सूचना ब्यौरे तथा दस्तावेज जिनकी समुचित आयोग ऐसे अवधारण के लिए अपेक्षा करे, की मांग करेगा।

(1ख) समुचित आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली कोई सूचना ब्यौरे तथा दस्तावेज उपलब्ध कराने में असफलता के लिए उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगा सकेगा।''।

(ii) उपधारा (3) में, आरंभिक भाग में, ''आवेदन की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, आवेदन की प्राप्ति या कार्यवाहियों के प्रारंभ से नब्बे दिन'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 66 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

39. मूल अधिनियम की धारा 66 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

बाजार का विकास।

''66. समुचित आयोग, विद्युत बाजार (जिसके अंतर्गत व्यापार, अग्रिम और भावी संविदा भी है) तथा विद्युत में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन देने वाले बाजार के विकास को ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, संवर्धित करने का प्रयास करेगा और धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और समय-समय पर लोक हित में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अन्य निदेशों द्वारा मार्गदर्शित होगा।''।

धारा 67 का संशोधन।

40. मूल अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) में, ''प्रदाय या पारेषण'' शब्दों के स्थान पर, ''वितरण या पारेषण'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 68 का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 68 में,—

(i) उपधारा (1) में, ''उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात, ''धारा 67 की'' शब्द और अंक अन्त:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (5) के पश्चात्, ''अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन'' शब्दों के पश्चात्, ''या उत्पादन कंपनी'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (6) में और स्पष्टीकरण से पहले, ''अनुज्ञप्तिधारी से'' शब्दों के पश्चात्, ''या उत्पादन कंपनी'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 69 का अन्त:स्थापन।

42. मूल अधिनियम की धारा 69 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अनुज्ञप्तिधारियों की अनापत्तियां।

''69क. जब कभी कोई व्यक्ति किसी पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र के भीतर या विद्युत के पारेषण के लिए किसी प्रणाली को प्रचालित और उसका रख-रखाव करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के क्षेत्र के भीतर कोई क्रियाकलाप कर रहा है और ऐसे क्रियाकलाप से ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति की पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली पर कोई विवक्षा होने की संभावना है, तो ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अनुज्ञाप्तिधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति की पूर्व सहमति ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेगा जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।''।

धारा 70 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

43. मूल अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''70. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण नामक निकाय का, ऐसे कृत्यों का प्रयोग करने और ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे जाएं, गठन किया जाएगा। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन, आदि।

1948 का 54

(2) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित और विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से ठीक पहले उस रूप में कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के रूप में समझा जाएगा और उसके अध्यक्ष, सदस्य तथा अन्य अधिकारी और कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए हुए समझे जाएंगे और वे उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करते रहेंगे जिन पर उन्हें विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त किया गया था।

(3) प्राधिकरण चौदह से अनधिक सदस्यों (जिनके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है) से मिलकर बनेगा जिनमें से आठ से अनधिक पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार योग्यता, निष्ठा और अनुभव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों में से, जिनको इंजीनियरी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या औद्योगिक विषयों का ज्ञान और पर्याप्त अनुभव है और जो उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखते हैं, अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त कर सकेगी और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों में से प्रत्येक से नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) उत्पादन केन्द्रों के डिजाइन, संनिमार्ण, प्रचालन और अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी;

(ii) विद्युत के पारेषण और प्रदाय में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी;

(iii) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त गवेषणा;

(iv) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य या वित्त;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और सदस्यों के निबंधन और शर्तें जिनके अंतर्गत उनकी पात्रता और अनुभव भी है, वे होंगी जो विहित किए जाएं।

(5) अध्यक्ष प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।

(6) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(7) प्राधिकरण प्रधान कार्यालय या ऐसे किसी अन्य स्थान और ऐसे समय पर बैठकें करेगा जैसे अध्यक्ष निदेश दे और अपनी बैठकों (जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है) में कार्य संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो वह विनिर्दिष्ट करे ।

(8) यदि अध्यक्ष प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के न होने पर, या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है, उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(9) प्राधिकरण की किसी बैठक में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा ।

(10) प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय सचिव अथवा इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

(11) प्राधिकरण केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा वह अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।

(12) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्य ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, और अन्य सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।''।

44. मूल अधिनियम की धारा 78 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के सदस्यों और केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए चयन समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्य्क्ष– अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) उपभोक्ता मामले के विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का भारसाधक सचिव– सदस्य, पदेन ;

(ग) विधि कार्य विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का भारसाधक सचिव– सदस्य, पदेन ;

(घ) उपधारा (2) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति– सदस्य ;

(ङ) उपधारा (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाला व्यक्ति—सदस्य ;

(च) विद्युत विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय का भारसाधक सचिव—सदस्य, पदेन ;

(ख) उपधारा (2) में, ''कंपनी अधिनियम, 1956''शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''कंपनी अधिनियम, 2013'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।''। 1956 का 1 2013 का 18

धारा 79 का संशोधन।

45. मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) में, खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) स्मार्ट ग्रिड के संवर्धन और विकास सहित विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण, आनुषंगिक सेवाओं और विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन को विनियमित करना ;''।

धारा 85 का संशोधन।

46. मूल अधिनियम की धारा 85 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) राज्य सरकार, राज्य आयोग के सदस्य का चयन करने के प्रयोजनों के लिए एक चयन समिति का गठन करेगी । चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है– अध्यक्ष ;

(ख) संबंधित राज्य का मुख्य सचिव—सदस्य ;

(ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष—सदस्य ;

(घ) केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष या केन्द्रीय आयोग का कोई सदस्य, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य ;

(ङ) उपधारा (2क) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति—सदस्य ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2क) उपधारा (1) के खंड (ङ) के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों में से, जो कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट किसी वित्तीय संस्था के अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद धारण करते हैं, नामनिर्देशन करेगी।'' ; 2013 का 18

(ग) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(5क) चयन समिति के गठन में दो मास से अधिक का या राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति में पांच मास से अधिक का विलंब होने की दशा में, केन्द्रीय सरकार, इस धारा के निबंधनों के अनुसार सदस्य को नियुक्त किए जाने और उस सदस्य द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने के समय तक उस सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक अधिकारी को, जो मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का न हो, उस आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने की हकदार होगी।''।

धारा 86 का संशोधन।

47. मूल अधिनियम की धारा 86 में, उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, प्रपुंज या फुटकर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना:

परंतु जहां धारा 42 के अधीन उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की गई है वहां राज्य आयोग उक्त प्रवर्ग के उपभोक्ताओं के लिए केवल चक्रण प्रभारों और उन पर अधिभार, यदि कोई हो, का अवधारण करेगा;

(ख) प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय उपापन प्रक्रिया को विनियमित करना जिसके अंतर्गत वह कीमत भी है जिस पर विद्युत राज्य में उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से या प्रदाय के लिए विद्युत के क्रय संबंधी करारों के माध्यम से अन्य स्रोतों से उपाप्त की जाएगी;

(ग) विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण और चक्रण को सुकर बनाना और स्मार्ट ग्रिड, नेट मीटरिंग, आनुषंगिक सेवाओं और विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन का संवर्धन करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य में अपनी संक्रियाओं की बाबत पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में कार्य करने की ईप्सा करते है, अनुज्ञप्तियां जारी करना;

(ङ) किसी व्यक्ति को विद्युत के ग्रिड के साथ कनेक्शन देने और उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराकर उर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा और विद्युत के उत्पादन के नवीकरणीय स्रोतों से सह-उत्पादन का संवर्धन करना और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत के कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना;

(च) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को, जिसकी प्रदाय के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को प्रदाय करने की बाध्यता ग्रिड के साथ कनेक्शन देने और विद्युत के विक्रय के लिए उपयुक्त उपाय उपलब्ध कराकर नवीकरणीय स्रोतों से भिन्न स्रोतों से सह उत्पादन और जल शक्ति उत्पादन का संवर्धन करना;

(छ) यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियों, मध्यवर्ती कंपनी या उनमें से किसी के बीच विवादों का अधिनिर्णय करना और किसी विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट करना;

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना;

(झ) धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड से संगत राज्य ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट करना;

(ञ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरंतरता और विश्वसनीयता की बाबत मानदंड विनिर्दिष्ट या प्रवर्तित करना;

(ट) विद्युत के अंतिम गंतव्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार मार्जिन नियत करना;

(ठ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समयबद्ध रीति में मीटर लगाने और संबंधित अवसंरचना सहित वितरण प्रणाली के सृजन की अपेक्षा करना;

(ड) टैरिफ में प्रति-सहायिकी की सबंद्ध कटौती को विनिर्दिष्ट करना;

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे इस अधिनियम के अधीन समनुदिष्ट किए जाएं।''।

धारा 89 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

48. मूल अधिनियम की धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी; अर्थात्:—

सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

''89. अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य उस तारीख से जिसको वह पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा:

परंतु केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसी हैसियत में पुन: नियुक्ति के माध्यम से जिसमें वह पहले उस रूप में पद धारित करता था, एक और पदावधि के लिए पद धारण करने के लिए पात्र होगा:

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य उसके द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।''।

49. मूल अधिनियम की धारा 90 में खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 90 का संशोधन।

''(छ) धारा 109क के अधीन गठित समिति द्वारा यथा अधिनिर्णीत अपालन के आधार पर;''।

50. मूल अधिनियम की धारा 92 में उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 92 का संशोधन।

''(6) समुचित आयोग के समक्ष प्रत्येक कार्यवाहियों का विनिश्चय शीघ्रता से और इस प्रयास से किया जाएगा कि कार्यवाहियों का निपटान 120 दिन के भीतर किया जाए और विलंब की दशा में समुचित आयोग 120 दिन की अवधि से परे विलंब के कारणों को अभिलिखित करेगा।''।

51. मूल अधिनियम की धारा 94 में, उपधारा (3) में ''सकेगा'' शब्द के स्थान पर ''सकता'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 94 का संशोधन।

52. मूल अधिनियम की धारा 109 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 109क का अंत:स्थापन।

''109क. (1) विनियामकों का मंच, समय-समय पर किसी समुचित आयोग के कार्य की समीक्षा करने के लिए तीन विख्यात व्यक्तियों से अन्यून से मिलकर बनने वाली एक स्वतंत्र समिति का गठन करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी समिति की सिफरिशों के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। समुचित आयोगों के कार्य संपादन का पुनर्विलोकन।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त समिति विनियामकों के मंच के अनुमोदन से सहायता प्राप्त करने के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों को नियोजित करने की पात्र होगी।

(3) समिति के कृत्य और निर्देश के निबंधन जिसके अंतर्गत उसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि भी है, वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।''।

53. मूल अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (1) में, ''ऐसे अपील अधिकारी को जो विहित किया जाए'' शब्दों के स्थान पर, ''धारा 42 की उपधारा (6) के निबंधनों में नियुक्त संबंधित क्षेत्र का ओम्बड्समैन और ओम्बड्समैंन इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी होगा'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 127 का संशोधन।

54. पार्श्व शीर्ष ''भाग 13-बोर्ड का पुनर्गठन'' के स्थान पर, ''भाग 13-बोर्ड और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का पुनर्गठन'' पार्श्व रखा जाएगा। पार्श्व शीर्ष का संशोधन।

55. मूल अधिनियम की धारा 131 में— धारा 131 का संशोधन।

(i) ''बोर्ड की संपत्ति का राज्य सरकार में निहित होना'' पार्श्व के स्थान पर, ''बोर्ड की संपत्ति और वितरण अनुज्ञप्ति का राज्य सरकार में निहित होना'' पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4क) (क) राज्य सरकार धारा 51क के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी किसी कंपनी को प्रदाय के संबंधित क्षेत्र में पदधारी प्रदान अनुज्ञप्तिधारी होगी, विद्युत के प्रदाय से संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के ऐसे कृत्य, संपत्ति, संपत्ति में हित, अधिकरों और दायित्वों को अंतरित करने के लिए और जहां तक ऐसे

विद्यमान विद्युत क्रय करारों और उपापन ठहरावों का, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी मध्यवर्ती कंपनी में फायदाग्राही है, संबंध है, उसके लिए एक अंतरण स्कीम बनाएगी और ऐसी स्कीम का अधिनियम के अधीन कानूनी अंतरण स्कीम के रूप में प्रकाशन करेगी।

(ख) उपखंड (1) के अधीन किए गए ऐसे अंतरण की प्रभावी तारीख से ही, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का, इस अधिनियम के अधीन अंतरणों की सीमा तक कृत्यों और कर्तव्यों के संबंध में प्रभारी होना समाप्त हो जाएगा और वह उनका निष्पादन नहीं करेगा।

(ग) मध्यवर्ती कंपनी के कृत्य ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।''।

धारा 142 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

56. मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

समुचित आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

''142. यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए एक नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है या यथा विनिर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय बाध्यता या नवीकरणीय उत्पादन बाध्यता का अनुपालन नहीं किया है, तो समुचित आयोग ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी को मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के अधीन दायी होगी, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसी उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता जारी रहती है, संदाय करेगा:

परंतु नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली उत्पादन कंपनी द्वारा अननुपालन की दशा में, ऐसी उत्पादन कंपनी शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो दस लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, जो दस हजार रुपए तक की हो सकेगी, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता जारी रहती है, संदाय करेगा।''।

धारा 146 के स्थान पर नई धारा का रक्षा जाना।

57. मूल अधिनियम की धारा 146 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

''146. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा वह प्रत्येक अपराध की बाबत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी रहती है पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु इस धारा की कोई बात धारा 121 के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निदेशों को लागू नहीं होगी:

परंतु यह और कि नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाली उत्पादन कंपनी द्वारा अननुपालन की दशा में ऐसी उत्पादन कंपनी का भारसाधक अधिकारी ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसी उत्पादन कंपनी जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी रहती है दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।''।

धारा 149 का लोप ।

58. मूल अधिनियम की धारा 149 का लोप किया जाएगा।

धारा 162 का संशोधन।

59. मूल अधिनियम की धारा 162 में उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) समुचित सरकार—

(क) मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों की अर्हता, प्रशिक्षण, शक्तियों और कृत्यों;

(ख) मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों द्वारा परीक्षण, निरीक्षण और सेवाओं के लिए संदेय फीस और प्रभारों; और

(ग) मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण की रीति,

को विहित कर सकेगी ।''।

धारा 166 का संशोधन।

60. मूल अधिनियम की धारा 166 में,—

(i) ''समन्वय मंच'' पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, ''समन्वय मंच, विनियामकों और जिला समिति का मंच'' पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में, ''राज्य आयोगों के अध्यक्ष होंगे'' शब्दों के पश्चात्, ''जो ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में, ''पारेषण और वितरण में लगी उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों'' शब्दों के स्थान पर, ''पारेषण, वितरण और प्रदाय में लगी उत्पादक कंपनियों, पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों,'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

''(6) उपधारा (5) के अधीन गठित समन्वय समिति के विनिश्चयों को सात दिन से अनधिक की अवधि के भीतर समुचित आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

(7) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मुख्य वैद्युत निरीक्षकों और वैद्युत निरीक्षकों से मिलकर बनने वाले वैद्युत निरीक्षकों के मंच का गठन करेगी और उसके कृत्यों को विनिर्दिष्ट करेगी ।''।

धारा 176 का संशोधन।

61. मूल अधिनियम की धारा 176 की उपधारा (2) में—

(i) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) उपभोक्ता का धारा 51ख की उपधारा (2) के अधीन प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को चुनने का विकल्प;

(घख) धारा 55 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन, ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा एक मास में विद्युत की सीमा से अधिक विद्युत का उपभोग'';

(ii) खंड (छ) में, ''उपधारा (14)'' शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज) में, ''उपधारा (15)'' शब्द, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपधारा (4)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(iv) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(झक) धारा 83ख के अधीन क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति की संरचना, क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की अर्हताएं, सेवा के निबंधन और शर्तें;'';

(v) खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(तक) धारा 109क की उपधारा (3) के अधीन समिति की संरचना, कृत्य और निर्देश - निबंधन;'';

(vi) खंड (प) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(पक) धारा 131 की उपधारा (4क) के खंड (ग) के अधीन मध्यवर्ती के कृत्य;''।

धारा 177 का संशोधन।

62. मूल अधिनियम की धारा 177 की उपधारा (2) के खंड (क) में, ''ग्रिड मानक'' शब्दों के पश्चात् ''और स्मार्ट ग्रिड और अनुषंगी सेवाओं के लिए भी उपाय'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 180 का संशोधन।

63. मूल अधिनियम की धारा 180 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(कक) धारा 45क के अधीन विद्युत शोध्यों के साथ अन्य शोध्यों के संग्रहण और वसूली की रीति;'';

(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(डक) धारा 162 की उपधारा (1क) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षकों तथा निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कृत्य तथा निरीक्षण की रीति;''।

नई धारा 186 का अंत:स्थापन।

64. मूल अधिनियम की धारा 185 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

''186. (1) यदि विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।''।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विद्युत अधिनियम, 2003 (उक्त अधिनियम) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उसके उपयोग और साधारणतः विद्युत उद्योग के विकास, उसमें प्रतिस्पर्धा के संवर्धन, उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण, और सभी क्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय करने, विद्युत टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने, साहायिकियों के बारे में पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, दक्ष और पर्यावरण के लिए हितकर नीतियों के संवर्धन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विनियामक आयोगों के गठन और अपील अधिकरण की स्थापना में सहायक उपाय करने, से संबंधित विधियों का समेकन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. योजना आयोग द्वारा, विद्युत क्षेत्र के विकास के प्रयोजन के लिए, 4 मार्च, 2011 को, विद्युत संबंधी एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था । उक्त समूह ने, विभिन्न पणधारियों से परामर्श करके, उक्त अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी । इसकी सिफारिशों और इन वर्षों के दौरान जो अनुभव किया गया उसके आधार पर यह महसूस किया गया कि वितरण क्षेत्रों में, उपभोक्ताओं को विकल्प देकर और अधिक प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा का संर्वधन, ग्रिड सुरक्षा का अनुरक्षण, टैरिफ अवधारण का सुव्यवस्थीकरण और विनियामक आयोगों का सुदृढ़ीकरण करने के उक्त अधिनियम के समग्र उद्देश्यों को देखते हुए उसके कुछ उपबंधों का पुनर्विलोकन और उनमें संशोधन करने की जरूरत है ।

3. उक्त अधिनियम में संशोधनों का प्रस्ताव बाजार के सिद्धान्तों के आधार पर मूल घटक में बहुविद् प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों को लाकर तथा वहन तंत्र (वितरण नेटवर्क) को एक विनियमित क्रियाकलाप बनाए रखकर विद्युत के क्षेत्र में वहन तंत्र (वितरण क्षेत्र/नेटवर्क) को मूल घटक (विद्युत प्रदाय कारबार) से पृथक् करने के लिए किया गया है । प्रस्तावित संशोधनों में अनुज्ञप्तिधारियों से, किसी राजस्व अंतर के बिना, राजस्व की वसूली, उपयोगिताओं द्वारा समय पर टैरिफ पिटीशन फाइल किए जाने और समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उसका निपटारा किए जाने हेतु और यदि उपयोगिता या उत्पादन कंपनियां समय पर अपनी पिटीशनें फाइल नहीं करतीं तो समुचित आयोगों को अवधारण संबंधी कार्यवाहियां स्वप्रेरणा से आरंभ करने के लिए सशक्त बनाने हेतु उपबंध भी हैं ।

4. इसके अतिरिक्त, समुचित आयोगों के कार्यकरण में, उनकी कृत्यकारी स्वायत्ता को प्रभावित किए बिना, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करने और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तात्यर्पित उपबंधों को स्पष्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कंपनियों को मानित अनुज्ञप्तिधारी की प्रास्थिति देना, समेकित विद्युत बिलों का उपबंध करना, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाने वाले उपभोग स्तर के बाद स्मार्ट मीटरों को लगाना, अनावृत्त पारेषण लाइनें बिछाना और विनियामक आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर चयन समितियों की संरचना में कतिपय उपांतरण करना आदि कुछ ऐसे अन्य संशोधन हैं जिनको उक्त अधिनियम में लाने का प्रस्ताव किया गया है ।

5. तदनुसार, विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रस्ताव किया गया है :--

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 का प्रतिस्थापन, जिससे विद्यमान राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना के अतिरिक्त राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति का उपबंध किया जा सके ;

(ख) नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्र का, चक्रण आरक्षिति सहित, गठन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7 का संशोधन ;

(ग) उक्त अधिनियम की धारा 14 का प्रतिस्थापन, जिससे वितरण और प्रदाय के लिए पृथक् अनुज्ञप्ति प्रदान की जा सके और नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्धन करने के लिए विनिर्दिष्ट छूट का उपबंध किया जा सके ;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (8) का संशोधन, जिससे अनुज्ञप्ति की अवधि को पच्चीस वर्ष से बढ़ाकर ऐसी अवधि तक किया जा सके, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 29 और धारा 33 का संशोधन, जिससे कि संबंधित भार प्रेषण केन्द्रों द्वारा निदेशों का अननुपालन किए जाने की दशा में शास्ति में वृद्धि की जा सके ;

(च) उक्त अधिनियम की धारा 34 का प्रतिस्थापन, जिससे अनावृत्त पारेषण लाइनों को ग्रिड मानकों के अधीन सम्मिलित किया जा सके ;

(छ) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 45क अन्तःस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि समुचित सरकार, समुचित आयोग और संबंधित प्राधिकारियों से परामर्श करके, उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन किन्हीं शोध्यों का, विद्युत शोध्यों के साथ, संग्रहण करने और उन्हें वसूल करने की रीति विहित कर सके ;

(ज) उक्त अधिनियम में, विद्युत के प्रदाय तथा विद्युत के वितरण और प्रदाय से संबंधित अन्य उपबंधों से संबंधित क्रमशः नए भाग 6क और भाग 6ख अन्तःस्थापित करना ;

(झ) समुचित सरकार को अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए समुचित आयोग को सिफारिश करने के लिए समर्थ बनाने हेतु एक नई धारा 59क का अन्तःस्थापन ;

(ञ) उक्त अधिनियम की धारा 61 का संशोधन, जिससे जल विद्युत का संवर्धन किया जा सके, विनियामक आस्तियों में कमी लाई जा सके और टैरिफ नीति को आज्ञापक बनाया जा सके ;

(ट) समुचित आयोग के कार्य संपादन का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन करने हेतु उक्त अधिनियम में "समुचित आयोग के कार्यसंपादन का पुनर्विलोकन" संबंधी एक नई धारा 109क का अन्तःस्थापन ;

(ठ) उक्त अधिनियम की धारा 162 का संशोधन, जिससे समुचित सरकार को मुख्य विद्युत निरीक्षकों, विद्युत निरीक्षकों की अर्हताओं, उनके प्रशिक्षण, उनकी शक्तियों और उनके कृत्यों तथा फीस के उद्ग्रहण के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त

किया जा सके।

6. खंडों के टिप्पण में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 में अन्तर्विष्ट उपबंधों को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
16 दिसम्बर, 2014

पीयुष गोयल

खंडों पर टिप्पण

खंड 2--यह खंड कतिपय परिभाषाओं को संशोधित करने और अनुषंगी सेवाओं, वितरण क्षेत्र, विकेन्द्रीकृत वितरित उत्पादन, "विद्युत वितरण कोड", आश्रयी प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी, मध्यवर्ती कंपनी, आबद्धकर इकाई, नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी, स्मार्ट ग्रिड और अंतिम उपाय प्रदाता से संबंधित नई परिभाषाओं को अंतःस्थापित करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 3--यह खंड नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों के संवर्धन और स्मार्ट ग्रिड, अनुषंगी सेवाओं और विकेन्द्रीकृत वितिरत उत्पादन आदि का सवंर्धन करने का उपाय करने के लिए एक पृथक् राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति का उपबंध करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 4--यह खंड एकल आधार प्रणाली के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति के भाग के रूप में सम्मिलित सौर शक्ति और नवीकरणीय स्त्रोतों को कार्य में लाने का उपबंध करने के लिए मूल अधिनियम की धारा 4 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 5--यह खंड "क्षेत्र" शब्द के स्थान पर "देश के सभी भागों" शब्द रखने के लिए मूल अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है ।

खंड 6--यह खंड उत्पादन कंपनी द्वारा कतिपय क्षमता की चक्रण आरक्षिती के अनुरक्षण का उपबंध करने के लिए और यह उपबंध करने के लिए कि कोयला और लिग्नाइट आधारित तापीय शक्ति उत्पादन केन्द्र स्थापित करने वाली किसी उत्पादन कंपनी के लिए अधिसूचित की जाने वाली तारीख के पश्चात् और उस रीति में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करना अपेक्षित होगा जो तापीय शक्ति की प्रतिष्ठापित क्षमता के दस प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

खंड 7--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि विद्युत उत्पादन सहित बहु प्रयोजनीय जल विद्युत को जल विद्युत उत्पादन के भाग विद्युत के रूप में सम्मिलित किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, यह उपबंध किया जाता है कि केंद्रीय प्राधिकारी को जल विद्युत केंद्रों को सहमति प्रदान करते समय नदी में न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह के बनाए रखने को ध्यान में रखना चाहिए ।

खंड 8--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी का उपबंध आरंभ किया जा सके और वहन और अंतर्वस्तु के पृथक्करण के कारण अन्य पारिणामिक परिवर्तन भी किए जा सकें ।

खंड 9--यह खंड किसी व्यक्ति को पारेषण विद्युत के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या विद्युत वितरण करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में समुचित आयोग को अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सशक्त करने वाली मूल अधिनियम की धारा 14 को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

खंड 10--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 15 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि अनुज्ञप्ति की अवधि समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

खंड 11--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि अनुज्ञप्ति की समाप्ति, प्रतिसंहरण से संबंधित उपबंधों के संबंध में और उपयोग की क्रय कीमत के बारे में स्पष्टता लाई जा सके ।

खंड 12--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 24 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि समुचित आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी या प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्रशासनक नियुक्त करने में समर्थ हो सके ।

खंड 13--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों द्वारा निदेशों के अतिक्रमण के लिए शास्ति की मात्रा को बढ़ाया जा

सके ।

खंड 14--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि राज्य भार प्रेषण केंद्रों द्वारा निदेशों के उल्लंघन के लिए शास्ति की मात्रा को बढ़ाया जा सके ।

खंड 15--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 34 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा या किसी उत्पादन कंपनी या अनावृत पारेषण लाइन का रखरखाव करने वाले किसी व्यक्ति या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति जिसकी प्रणाली ग्रिड से संबद्ध है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट ग्रिड मानको के अनुपालन के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 16--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ग्रिड की सुरक्षा और रक्षा के लिए निदेश जारी करने के लिए समुचित सरकार को सशक्त किया जा सके ।

खंड 17--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने वाला उपभोक्ता पारेषण प्रभारों के अतिरिक्त अधिभार के संदाय के अध्यधीन होगा । इसके अतिरिक्त, यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिभार वह होगा, जो केंद्रीय आयोग की बजाय समुचित राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं क्योंकि यह राज्य आयोग ही है जो आर्थिक सहायता के विषय में संव्यवहार करता है न कि केंद्रीय आयोग ।

खंड 18--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि निर्बाध पहुंच के माध्यम से विद्युत प्राप्त करने वाला उपभोक्ता पारेषण प्रभारों के अतिरिक्त अधिभार के संदाय के अध्यधीन होगा ।

खंड 19--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि संदत्त किए जाने वाले अधिभार की मात्रा वह होगी जो उस राज्य के समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जहां पर उपभोक्ता का अंतिम उपयोग परिसर अवस्थित है ।

खंड 20--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 42 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट किया जा सके और निर्बाध पहुंच से संबंधित कतिपय व्यवस्था का भी उपबंध किया जा सके ।

खंड 21--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 43 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण के क्षेत्र में किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसे प्रदाय की अपेक्षा करने वाले आवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिनों के भीतर विद्युत के प्रदाय को सुलभ बनाने के लिए ऐसे परिसरों को कनेक्शन देगा ।

खंड 22--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 44 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "प्रदाय करने करने की अनुज्ञप्ति" शब्दों के स्थान पर "विद्युत वितरित करने की अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जा सके ।

खंड 23--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 45 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43 के अनुसरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके द्वारा विद्युत के वितरण के लिए प्रभारित की जाने वाली कीमतें समुचित आयोग द्वारा अवधारित ऐसी टैरिफों के अनुसार और उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार समय-समय पर नियत समुचित आयोग या अन्यथा द्वारा प्राधिकृत ऐसे प्रभारों के अनुसार होंगी ।

खंड 24--यह खंड मूल अधिनियम में एक नई धारा 45क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समुचित सरकार, समुचित आयोग और संबद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन विद्युत शोध्यों के साथ किसी शोध्यों के संग्रहण और उसकी वसूली की रीति विहित कर सकेगी ।"

खंड 25--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 46 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करने वाले" शब्दों के स्थान पर "वितरण प्रणाली की अपेक्षा करने वाले" शब्द और "देने और प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "विद्युत के सुलभ प्रदाय के लिए कनेक्शन

देना और उसे अनुरक्षित रखने" शब्द प्रतिस्थापित किए जा सके ।

खंड 26--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वितरण के क्षेत्र में वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो धारा 51क के अनुसरण में वितरण प्रणाली के कनेक्शन की अपेक्षा करता है, से वहां यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी सभी धन राशियों, जो ऐसे व्यक्ति को वितरित विद्युत की बाबत उसको शोध्य हो जाएं, के उसको संदाय के लिए युक्तियुक्त प्रतिभूति दे, जहां ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर के उपबंध के संबंध में ऐसे व्यक्ति को विद्युत वितरण करने के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाना है और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझता है, ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता बनी रहती है विद्युत वितरण करने या लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध कराने से इंकार कर सकेगा ।

खंड 27--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "विद्युत के प्रदाय" शब्दों के स्थान पर "विद्युत का वितरण" शब्द और "प्रदाय" शब्द के स्थान पर "वितरित" शब्द प्रतिस्थापित किए जा सकें ।

खंड 28--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 49 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से 1 मेगावाट और उससे अधिक भार के कनेक्शन लेने वाले सभी उपभोक्ता किसी व्यक्ति के साथ ऐसे निबंधनों और शर्तों पर (टैरिफ सहित), जो उनके द्वारा करार किए पाए जाएं, विद्युत के प्रदाय या क्रय के लिए करार कर सकेंगे ।

खंड 29--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 50 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि राज्य आयोग विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिल देने के अंतरालों, प्रभारों के असंदाय के लिए विद्युत कनेक्शन को काटने, विद्युत प्रदान के प्रत्यावर्तन, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति पहुंचाने से रोकने के लिए उपाय, कनेक्शन को काटने और मीटर को हटाने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनों या विद्युत संयंत्रों या मीटर को बदलने, परिवर्तित करने या उनके अनुरक्षण के लिए और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए एक विद्युत वितरण कोड विनिर्दिष्ट करेगा ।

खंड 30--यह खंड विद्युत के वितरण से सुभिन्न रूप में विद्युत के प्रदाय के संबंध में कार्रवाई करने के लिए धारा 51क से धारा 51छ को अंतर्विष्ट करने वाले मूल अधिनियम में एक नया भाग 6क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 31--यह खंड वितरण और प्रदाय कार्य, दोनों के लिए, लागू सामान्य उपबंधों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए धारा 51ज को अंतर्विष्ट करने वाले मूल अधिनियम में एक नया भाग 6ख अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 32--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है जिसके द्वारा मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के अधीन मेट्रो रेल को, दोनों को, एक समान बरतने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए रेल के अतिरिक्त जोड़ा गया है ।

खंड 33--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है जिसके द्वारा समुचित मीटर के माध्यम से विभिन्न प्रक्रमों पर उचित ऊर्जा लेखांकन के लिए परिवर्धन किए गए हैं ।

खंड 34--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है और ऐसे पूर्व संदत्त मीटरों के संबंध में उपबंध किया गया है जिसमें विद्युत प्रदाय बंद करने की सूचना की धारणा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

खंड 35--यह खंड मूल अधिनियम में एक नई धारा 59क अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन के मानक के अननुपालन के कारण अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए सिफारिश करने हेतु समुचित सरकार को समर्थ बनाया जा

सके ।

खंड 36--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 61 का संशोधन करने के लिए है जिसके द्वारा कतिपय अतिरिक्त मार्गदर्शी सिद्धांत टैरिफ अवधारण के संबंध में जोड़े गए हैं । यह विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि टैरिफ नीति के उपबंधों का टैरिफ अवधारण में समुचित आयोग द्वारा पालन किया जाएगा ।

खंड 37--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 62 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि उक्त अधिनियम की उपधारा (1) में उल्लिखित कारणों के लिए समुचित आयोग द्वारा टैरिफ के अवधारण का उपबंध किया जा सके । यह और उपबंध किया गया है कि किसी अनुज्ञप्तिधारी के लिए समुचित आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ समुचित कीमत समायोजन सूत्र, जिसके अंतर्गत जहां कहीं लागू हों, ईंधन, विद्युत क्रय और उपापन कीमत अधिभार सूत्र, जो राष्ट्रीय टैरिफ नीति में विनिर्दिष्ट किया जाए, के माध्यम से टैरिफ अवधि के दौरान मासिक बिलों में समुचित आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की सभी प्रज्ञावान खर्चों की वसूली के लिए उपबंध करेगी । यह भी उपबंधित है कि समुचित आयोग, ऐसे पृथक् ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए किसी अनुज्ञप्तिधारी या किसी उत्पादन कंपनी से ऐसी अपेक्षा कर सकेगा, जो उत्पादन, पारेषण, वितरण और टैरिफ के अवधारण के लिए प्रदाय की बाबत विनिर्दिष्ट की जाएं ।

खंड 38--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 64 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि इकाईयों (यूटीलिटीज) द्वारा समय पर टैरिफ याचिका के फाइल न किए जाने के परिणामों का उपबंध किया जा सके और विद्युत सेक्टर की व्यवहार्यता के लिए समय पर टैरिफ पुनरीक्षण के महत्व को ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई करने के लिए समुचित आयोग को समर्थ बनाया जा सके ।

खंड 39--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 66 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समुचित आयोग विद्युत में बाजार (जिसमें व्यापार और वायदा तथा भावी संविदा भी है) और विद्युत में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार के, किसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, विकास को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा और धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जनहित में जारी किए गए अन्य निदेशों द्वारा मार्गदर्शित किया जाएगा ।

खंड 40--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 67 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि वितरण के पृथक्करण तथा प्रदाय कार्यों के कारण कतिपय पारिणामिक संशोधन किए जा सके ।

खंड 41--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 68 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त धारा में ऐसे कतिपय संशोधन किए जा सके, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं ।

खंड 42--यह खंड विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी, जब अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कोई क्रियाकलाप किया जा रहा हो, की पूर्व सहमति लेने के लिए मूल अधिनियम में एक नई धारा 69क अंतःस्थापित करने के लिए है । यह विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी के हित की संरक्षा करने और विद्युत प्रणाली व्यवधानों से बचने के लिए है ।

खंड 43--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 70 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण संबंधी उपबंधों में स्पष्टता लाई जा सके ।

खंड 44--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 78 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय सरकार के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति के उपबंधों में कतिपय संशोधन किए जा सकें ।

खंड 45--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केंद्रीय आयोग के कार्यों से संबंधित उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड सम्मिलित किया जा सके ।

खंड 46--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 85 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति के उपबंधों में कतिपय संशोधन किए जा सकें ।

खंड 47--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 86 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि राज्य आयोग द्वारा निर्वहन किए जा रहे अतिरिक्त कृत्यों का पालन करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 48--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 89 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि राज्य आयोग और केंद्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष किए जाने का और तीन वर्ष की और पदावधि के लिए पुनर्नियुक्ति का उपबंध किया जा सके ।

खंड 49--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसी शर्तों का उपबंध किया जा सके जिनके अधीन आयोग के किसी सदस्य को विनियामकों के मंच द्वारा गठित की जाने वाली समिति द्वारा यथा अधिनिर्णीत अननुपालन के आधार पर हटाया जा सकता है ।

खंड 50--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 92 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समुचित आयोग शीघ्रतया मामलों का विनिश्चय करेगा और विलंब की दशा में आयोग द्वारा कारण लेखबद्ध किए जाएंगे ।

खंड 51--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि समुचित आयोग उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा ।

खंड 52--यह खंड समुचित आयोग के कार्यो के संपादन का पुनर्विलोकन करने के लिए विनियामकों के मंच द्वारा समिति की नियुक्ति के संबंध में एक नई धारा 109क अंतःस्थापित करने के लिए है ।

खंड 53--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 127 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त किए जाने वाला लोकपाल अपील अधिकारी होगा ।

खंड 54--यह खंड जहां संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है उसके लिए "भाग 13 - बोर्ड का पुनर्गठन" के पार्श्व शीर्षक को "भाग 13 - बोर्ड और वितरण अनुज्ञप्तिधारी का पुनर्गठन" के रूप में संशोधन करने के लिए है ।

खंड 55--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 131 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि कानूनी स्कीम के माध्यम से वितरणकारियों और प्रदायकारियों के पृथक्करण को कार्यान्वित करने के लिए पुनर्गठन विषयक उपबंधों के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 56--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 142 को प्रातिस्थापित करने के लिए है जिससे कि समुचित आयोग द्वारा निदेशों के अननुपालन के लिए दंड का उपबंध किया जा सके । उक्त धारा यह उपबंध करती है कि निदेशों के अननुपालन के लिए, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी शास्ति के रूप में, जो प्रत्येक अतिलंघन के लिए एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी, का और निरंतर असफलता की दशा में एक अतिरिक्त ऐसी शास्ति के साथ, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता बनी रहती है, एक लाख रुपए तक हो सकेगी, का संदाय करेगी या करेगा ।

खंड 57--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 146 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए दंड, कारावास से जिसकी अवधि प्रत्येक अपराध की बाबत तीन मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों के लिए दंड का उपबंध किया जा सके और ऐसी असफलता के बने रहने की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति से दंडादिष्ट होगा, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता बनी रहती है, एक लाख रुपए तक का हो सकेगा ।

खंड 58--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 149 का, कंपनी द्वारा अपराधों से संबंधित विषयों को सम्मिलित करने वाले अधिनियम के अधिष्ठायी उपबंधों के रूप में लोप करने के लिए है ।

खंड 59--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 162 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि समुचित सरकार को मुख्य विद्युत निरीक्षकों, विद्युत निरक्षकों की अर्हता, प्रशिक्षण, शक्तियों और कृत्यों तथा फीस के उदग्रहण से संबंधित नियमों को विहित करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

खंड 60--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 166 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि उक्त धारा में ऐसे कतिपय संशोधन, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं, किया जा सके ।

खंड 61--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 176 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे कतिपय विषयों पर नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाया जा सके, जिन्हें संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 62-- यह खंड मूल अधिनियम की धारा 177 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे कतिपय विषयों पर नियम बनाने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को सशक्त बनाया जा सके, जिन्हें प्रस्तावित संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 63--यह खंड मूल अधिनियम की धारा 180 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि ऐसे कतिपय विषयों पर नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त बनाया जा सके, जिन्हें संशोधनों द्वारा अंतःस्थापित किया गया है ।

खंड 64--यह खंड केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए एक नई धारा 186 अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि उसे विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन के दौरान कठिनाई को दूर करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सशक्त किया जा सके ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 61 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 176 का संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, अन्य बातों के साथ-साथ (क) उपभोक्ता को धारा 51ख की उपधारा (2) के अधीन प्रदाय अनुज्ञप्तिधारी को चुनने के विकल्प ; (ख) धारा 55 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा एक मास में की विद्युत की सीमा से अधिक के उपभोग ; (ग) धारा 109क की उपधारा (3) के अधीन समिति की संरचना, कृत्य और निर्देश-निर्बन्धन ; और (घ) धारा 131 की उपधारा (4क) के खंड (ग) के अधीन मध्यवर्ती कंपनी के कृत्यों के संबंध में हैं ।

2. विधेयक का खंड 62 विद्युत अधिनियम की धारा 177 का संशोधन करने के लिए है जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को विनियम बनाने के लिए सशक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

3. विधेयक का खंड 63 मूल अधिनियम की धारा 180 का संशोधन करने के लिए है जो राज्य सरकार को नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । वे विषय जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे अन्य बातों के साथ-साथ (क) धारा 45क के अधीन विद्युत शोध्यों के साथ अन्य शोध्यों के संग्रहण और वसूली की रीति ; और (ख) धारा 162 की उपधारा (1क) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षकों तथा निरीक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और पालन किए जाने वाले कृत्यों और निरीक्षण की रीति के संबंध में हैं ।

4 . वे विषय जिनकी बाबत उक्त नियम और विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और इस प्रकार उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 36) से उद्धरण

* * * * *

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) * * * * *

(3) ''प्रदाय क्षेत्र'' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति द्वारा विद्युत का प्रदाय करने के लिए प्राधिकृत है;

* * * * *

(8) ''आबद्ध उत्पादन संयंत्र'' से किसी व्यक्ति द्वारा प्राथमिक रूप से उसके स्वयं के उपयोग के लिए विद्युत का उत्पादन करने के लिए स्थापित विद्युत संयंत्र अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी या व्यक्ति-संगम द्वारा ऐसी सहकारी सोसाइटी या संगम के सदस्यों के उपयोग के लिए प्राथमिक रूप से विद्युत का उत्पादन करने के लिए स्थापित विद्युत संयंत्र भी है;

* * * * *

(12) ''सह-उत्पादन'' से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो साथ-साथ दो या अधिक प्रकार की उपयोगी ऊर्जा (जिसके अंतर्गत विद्युत भी है) उत्पादित करती है;

* * * * *

अनुज्ञप्ति की शर्तें। 16. समुचित आयोग, अनुज्ञप्ति की किन्हीं साधारण या विशेष शर्तों को जो किसी अनुज्ञप्तिधारी को या अनुज्ञप्तिधारियों के किसी वर्ग को लागू होगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसी शर्तें अनुज्ञप्ति की शर्तें समझी जाएंगी:

परन्तु समुचित आयोग, नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर, धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें परन्तुकों में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तियों को लागू होने वाली अनुज्ञप्ति की किन्हीं साधारण या विनिर्दिष्ट शर्तों को, इस अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विनिर्दिष्ट करेगा।

* * * * *

(17) ''वितरण अनुज्ञप्तिधारी'' से अपने प्रदाय क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत का प्रदाय करने के लिए वितरण प्रणाली को प्रचालित करने और उसका रखरखाव करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी अभिप्रेत है;

* * * * *

(23) ''विद्युत'' से,–

(क) किसी प्रयोजन के लिए उत्पादित, पारेषित, प्रदाय की गई या व्यापार की गई; या

* * * * *

(24) ''विद्युत प्रदाय कोड'' से धारा 50 में विनिर्दिष्ट विद्युत प्रदाय कोड अभिप्रेत है;

* * * * *

1956 का 1 (31) ''सरकारी कंपनी'' का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में उसका है;

* * * * *

(35) ''उच्च वोल्टता लाइन'' से किसी ऐसी अभिहित वोल्टता की विद्युत लाइन या केबल अभिप्रेत है जो समय-समय पर, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

* * * * *

(41) ''स्थानीय प्राधिकारी'' से ऐसी कोई नगर पंचायत, नगर परिषद् नगर निगम, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर गठित पंचायत, पत्तन आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो किसी क्षेत्रीय या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंध करने के लिए विधित: हकदार है या उसे संघ या किसी राज्य सरकार द्वारा ऐसा नियंत्रण या प्रबंध सौंपा जाता है;

* * * * *

(71) ''व्यापार'' से पुनर्विक्रय के लिए विद्युत का क्रय किया जाना अभिप्रेत है और ''व्यापार'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(72) ''पारेषण लाइन'' से अभिप्रेत है ऐसी सभी उच्च दाब केबल और शिरोपरि लाइनें (जो किसी अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली का आवश्यक भाग नहीं है) जो एक उत्पादन केन्द्र से दूसरे उत्पादन केन्द्र को या उप-केन्द्र को विद्युत का पारेषण करती है, ऐसी किन्हीं स्टैप-अप और स्टैप-डाउन ट्रांसफार्मरों, स्विचगीयरों और अन्य संकर्मों सहित जो ऐसी केबलों या शिरोपरि लाइनों के नियंत्रण के लिए आवश्यक हैं और प्रयोग किए जाते हैं तथा ऐसे भवनों या उनके भाग सहित जो ऐसे ट्रांसफार्मरों, स्विचगीयरों और अन्य संकर्मों के आवासन के लिए अपेक्षित हैं;

* * * * *

भाग 2

राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना

राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर कोयला, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय पदार्थों या सामग्री, जल जैसे संसाधनों के ऊर्जा के नवीकरणीय स्त्रोतों के अधिकतम उपयोग पर आधारित विद्युत प्रणाली के विकास के लिए, राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से, राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति तैयार करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति को, प्रकाशित करेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति का पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकेगी।

(4) प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और ऐसी योजना को पांच वर्ष में एक बार अधिसूचित करेगा:

परंतु प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत योजना को तैयार करते समय, राष्ट्रीय विद्युत योजना का प्रारूप प्रकाशित करेगा और उस पर अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कंपनियों और जनता से सुझाव और आक्षेप, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, आमंत्रित करेगा:

परंतु यह और कि प्राधिकरण,–

(क) केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् योजना को अधिसूचित करेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन अनुमोदन प्रदान करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए निदेशों, यदि कोई हो, को उसमें सम्मिलित करते हुए उस योजना का पुनरीक्षण करेगा।

(5) प्राधिकरण, राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना का, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण कर सकेगा।

4. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एकल आधार प्रणालियों को अनुज्ञात करते हुए, (जिनके अंतर्गत वे भी हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और अन्य गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हैं,) एक राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी और उसे अधिसूचित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के लिए एकल आधार प्रणालियों पर आधारित राष्ट्रीय नीति।

* * * * *

6. संबद्ध राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार, सभी क्षेत्रों तक, जिनके अंतर्गत ग्राम और उपग्राम भी हैं, ग्रामीण विद्युत अवसंरचना और घरों के विद्युतीकरण के माध्यम से विद्युत की पहुंच उपलब्ध कराने का संयुक्त रूप से प्रयास करेंगी। ग्रामीण विद्युतीकरण में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व।

भाग 3

विद्युत का उत्पादन

7. कोई उत्पादन कंपनी यदि वह धारा 73 के खंड (ख) में निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजन से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केन्द्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। उत्पादन कंपनी और उत्पादन केन्द की स्थापना के लिए अपेक्षा।

8. (1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, कोई उत्पादन कंपनी, जो जल विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का आशय रखती है, प्राधिकरण की सहमति के लिए, एक स्कीम तैयार और प्रस्तुत करेगी जिसमें ऐसी राशि, से जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, अधिक पूंजी व्यय अंतर्वलित होना प्राक्कलित हो। जल विद्युत उत्पादन।

(2) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन उसे प्रस्तुत की गई किसी स्कीम पर सहमति देने से पूर्व इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि उसकी राय में—

* * * * *

भाग 4

अनुज्ञापन

12. (1) कोई भी व्यक्ति— प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा विद्युत का पारेषण, प्रदाय, आदि किया जाना।

(क) विद्युत का पारेषण; या

(ख) विद्युत का वितरण; या

(ग) विद्युत में व्यापार,

तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे धारा 14 के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया जाता है, या धारा 13 के अधीन छूट प्रदान नहीं कर दी जाती है।

* * * * *

14. समुचित आयोग, धारा 15 के अधीन उसको किए गए आवेदन पर किसी व्यक्ति को, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट किया जाए— अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना।

(क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत पारेषित करने के लिए; या

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में विद्युत वितरित करने के लिए; या

(ग) विद्युत व्यापारी के रूप में विद्युत का व्यापार करने के लिए,

अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा:

परन्तु नियत तारीख को या उसके पूर्व निरसित विधियों या अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विद्युत के पारेषण या प्रदाय के कारबार में लगे किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या अधिनियम के अधीन उसे अनुदत्त अनुज्ञप्ति, समाशोधन या अनुमोदन में अनुबंधित किया जाए, अनुज्ञप्तिधारी है और ऐसी अनुज्ञप्ति के संबंध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट निरसित विधियों या ऐसे अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि या ऐसी पूर्वतर अवधि के लिए जो, अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागू होंगे और उसके पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध ऐसे कारबार को लागू होंगे:

परन्तु यह और कि केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता को इस अधिनियम के अधीन पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा:

परन्तु यह भी कि यदि समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ या उसके पश्चात् विद्युत का परेषण करती है या विद्युत का वितरण करती है या विद्युत में व्यापार करती है तो ऐसी सरकार इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी मानी जाएगी, किन्तु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

1948 का 14

परन्तु यह भी कि दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित दामोदर घाटी निगम इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, किन्तु उससे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, उस निगम को लागू होते रहेंगे:

परंतु यह भी कि सरकारी कंपनी या इस अधिनियम की धारा 131 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट कंपनी और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अनुसरण में सृजित कंपनी या कंपनियों को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा:

परंतु यह भी कि समुचित आयोग, एक ही क्षेत्र में भीतर अपनी वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वितरण के लिए दो या अधिक व्यक्तियों को, इन शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा कि एक ही क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक, इस अधिनियम के अधीन ऐसी अन्य शर्तों या अपेक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उन अतिरिक्त अपेक्षाओं (पूंजी की पर्याप्तता, उधार पात्रता या आचार संहिता से संबंधित हो) को पूरा करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, और ऐसे किसी आवेदक को, जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सभी शर्तों को पूरा करता है इस आधार पर अनुज्ञप्ति प्रदान करने से इंकार नहीं किया जाएगा कि उसी प्रयोजन के लिए उसी क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्तिधारी पहले से ही विद्यमान है:

परंतु यह भी कि उस दशा में, जहां कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए विद्युत का वितरण अन्य व्यक्ति के माध्यम से करने की प्रस्थापना करता है वहां ऐसे व्यक्ति से संबंधित राज्य आयोग से कोई पृथक् अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उसके प्रदाय क्षेत्र में विद्युत के वितरण के लिए उत्तरदायी होगा:

परंतु यह भी कि जहां कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत का उत्पादन और वितरण करने का आशय रखता है वहां ऐसे व्यक्ति से विद्युत

के ऐसे उत्पादन और वितरण के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं की जाएगी किन्तु वह ऐसे सभी उपाय जो धारा 53 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु यह भी कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत में व्यापार आरंभ करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी।

अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया।

15.(1) * * * * *

(8) अनुज्ञप्ति पच्चीस वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगी जब तक कि वह प्रतिसंहृत नहीं कर दी जाती।

* * * * *

अनुज्ञप्तिधारियों की उपयोगिताओं का विक्रय।

20. (1) जहां समुचित आयोग धारा 19 के अधीन किसी अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करता है वहां निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात्:—

(क) समुचित आयोग उस अनुज्ञप्तिधारी की, जिसकी अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, उपयोगिता को अर्जित करने के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और मुख्यत: उपयोगिता के लिए प्रस्थापित उच्चतम और सर्वोत्तम कीमत के आधार पर यह अवधारित करेगा कि ऐसे आवेदनों में से किसे स्वीकार किया जाए;

* * * * *

(ग) अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की तारीख से ही, या उस तारीख से ही, यदि उससे पहले हो, जिसको अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता का विक्रय क्रेता को किया जाता है, अनुज्ञप्तिधारी के सभी अधिकार, कर्तव्य, बाध्यताएं और दायित्व, सिवाय किन्हीं ऐसे दायित्वों के, जो उस तारीख के पूर्व प्रोद्भूत हुए हों पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे;

* * * * *

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उपयोगिता का विक्रय किया जाता है वहां क्रेता, तय पाई गई रीति में उपयोगिता की क्रय कीमत अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा।

(3) जहां समुचित आयोग उपधारा (1) के अधीन उपयोगिता का विक्रय करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा करने वाली कोई सूचना जारी करता है, वहां वह ऐसी सूचना द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उपयोगिता को परिदत्त करे और तब अनुज्ञप्तिधारी सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को उपयोगिता को उसकी क्रय कीमत से संदाय पर अभिहित क्रेता को परिदत्त करेगा।

* * * * *

वितरण अनुज्ञप्ति का निलंबन और उपयोगिता का विक्रय।

24. (1) यदि समुचित आयोग की किसी समय यह राय है कि—

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं को विद्युत की क्वालिटी के संबंध में मानकों के अनुरूप विद्युत के अबाधित प्रदाय को बनाए लगातार असफल रहा है; या

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने समुचित आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में लगातार व्यतिक्रम किया है; या

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों को तोड़ा है,

और लोकहित में ऐसा करने के लिए परिस्थितियां विद्यमान हैं, जो उसे उसके लिए आवश्यक बनाती है तो समुचित आयोग, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा और अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन करने के पूर्व, समुचित आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रस्तावित निलम्बन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदनों पर यदि कोई हों, विचार करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के निलंबन पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताएं एक वर्ष से अनधिक अवधि या उस तारीख तक के लिए, जिसको ऐसी उपयोगिता का धारा 20 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विक्रय किया जाता है, जो भी बाद में हो, प्रशासक में निहित हो जाएंगी।

(3) समुचित आयोग, उपधारा (1) के अधीन प्रशासक की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर, या तो धारा 19 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करेगा या अनुज्ञप्ति के निलंबन का प्रतिसंहरण करेगा और उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपयोगिता प्रत्यावर्तित करेगा, जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई थी।

(4) उस दशा में जहां समुचित आयोग, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करता है वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता का धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विक्रय किया जाएगा और उपयोगिताओं के विक्रय पर प्रशासनिक और अन्य व्ययों की कटौती करने के पश्चात् कीमत, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विप्रेषित की जाएगी।

* * * * *

निदेशों का अनुपालन।

29. (1) * * * * *

(6) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो वह पन्द्रह लाख रुपयों से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

* * * * *

निदेशों का अनुपालन।

33. (1) * * * * *

(5) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादक कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहेगा तो वह पांच लाख रुपयों से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

पारेषण से संबंधित अन्य उपबन्ध

ग्रिड मानक।

34. प्रत्येक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, ग्रिड मानकों के अनुसार पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण के ऐसे तकनीकी मानकों का अनुपालन करेगा जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

* * * * *

समुचित सरकार द्वारा निदेश।

37. समुचित सरकार, यथास्थिति, प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों या राज्य भार प्रेषण केंद्रों को, ऐसे उपाय करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी जो किसी प्रदेश या राज्य में विद्युत का निर्बाध और स्थायी पारेषण और प्रदाय बनाए रखने के लिए आवश्यक हों।

केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और उसके कृत्य।

38. (1) * * * * *

(2) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

* * * * *

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—

* * * * *

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना:

परंतु ऐसे अधिभार का उपयोग, करैंट लैवल प्रति-सहायिकी की अपेक्षा को पूरा करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार और प्रति-सहायिकी को ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह भी कि अधिभार के संदाय और उपयोग की रीति केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

39. (1) * * * * * राज्य पारेषण उपयोगिता और उसके कृत्य।

(2) राज्य पारेषण उपयोगिता के कृत्य निम्नलिखित होंगे—

* * * * *

(घ) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—

* * * * *

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना:

परंतु ऐसे अधिभार का उपयोग करैंट लैवल प्रति-सहायिकी की अपेक्षा को पूरा करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार और प्रति-सहायिकी को ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह भी कि अधिभार के संदाय और उपयोग की रीति राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के कर्तव्य।

40. (1) * * * * *

(ग) अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी निर्बाध पहुंच,—

* * * * *

(ii) किसी उपभोक्ता द्वारा जब कभी ऐसी निर्बाध पहुंच धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा प्रदान की जाए, पारेषण प्रभारों और उस पर ऐसे अधिभार के संदाय पर जो केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए,

उपयोग के लिए प्रदान करना:

परंतु ऐसे अधिभार का उपयोग करैंट लैवल प्रति-सहायिकी की अपेक्षा को पूरा करने के प्रयोजन के लिए किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार और प्रति-सहायिकी को ऐसी रीति में उत्तरोत्तर घटाया जाएगा जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह भी कि अधिभार के संदाय और उपयोग की रीति समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार उस दशा में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जब किसी ऐसे व्यक्ति को निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है जिसने अपने उपयोग के लिए गंतव्य तक विद्युत ले जाने के लिए कोई आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है।

* * * * *

भाग 6

विद्युत का वितरण

वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के बारे में उपबंध

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य और निर्बाध पहुंच।

42. (1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने प्रदाय क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित और मितव्ययी वितरण प्रणाली विकसित करे और उसका अनुरक्षण करे तथा इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विद्युत का प्रदाय करे।

(2) राज्य आयोग निर्बाध प्रवेश ऐसे चरणों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत प्रति-सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध भी हैं) आरंभ करेगा जो नियत तारीख से एक वर्ष के भीतर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और उत्तरोत्तर चरणों में निर्बाध पहुंच की सीमा को विनिर्दिष्ट करने में और चक्रण के लिए प्रभारों का अवधारण करने में, वह सभी सुसंगत तथ्यों, जिनके अंतर्गत ऐसी प्रति-सहायिकी और अन्य प्रचालन अवरोध भी हैं, सम्यक् रूप से विचार करेगा:

परंतु ऐसी निर्बाध पहुंच राज्य आयोग द्वारा यथा अवधारित चक्रण के लिए प्रभारों के अलावा किसी अधिभार का संदाय करने पर अनुज्ञात की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे अधिभार का उपयोग, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदाय के भीरत करैंट लैवल की प्रति-सहायिकी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार और प्रति-सहायिकी राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई रीति से उत्तरोत्तर घटाई जाएगी:

परंतु यह भी कि ऐसा अधिभार ऐसे मामले में उद्ग्रहणीय नहीं होगा जहां निर्बाध पहुंच ऐसे व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसने विद्युत को अपने स्वयं के उपयोग के गंतव्य तक ले जाने हेतु आबद्ध उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है:

परंतु यह भी कि राज्य आयोग, विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के अपश्चात् ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए, जो विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करते हैं, वहां ऐसे निर्बाध प्रवेश का विनियमों द्वारा उपबंध करेगा जहां किसी समय उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम विद्युत एक मैगावाट से अधिक है।

(3) जहां कोई व्यक्ति, जिसका परिसर किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के (जो नियत दिन से पूर्व विद्युत के वितरण के कारबार में लगा स्थानीय प्राधिकारी नहीं है) प्रदाय क्षेत्र के भीतर स्थित है, ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी उत्पादन कंपनी या किसी अनुज्ञप्तिधारी से विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है वहां ऐसा व्यक्ति, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से, सूचना द्वारा, राज्य आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी विद्युत के चक्रण की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रदाय की बाबत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के ऐसे कर्तव्य होंगे जो किसी ऐसे साधारण वाहक के हैं जो अविभेदकारी निर्बाध पहुंच का उपबंध करते हैं।

(4) जहां राज्य आयोग किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को, अपने प्रदाय क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात करता है वहां ऐसा उपभोक्ता ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी की प्रदाय करने की बाध्यता से उद्भूत नियत लागत को पूरा करने के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट चक्रण प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार का संदाय करने का दायी होगा।

(5) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, नियत दिन से या अनुज्ञप्ति मंजूर किए जाने की तारीख से, इनमें जो पूर्वतर हो, छह मास के भीतर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार, जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक मंच की स्थापना करेगा।

(6) ऐसा कोई उपभोक्ता, जो उपधारा (5) के अधीन अपनी शिकायतों का प्रतितोष नहीं मिलने के कारण व्यथित है, ऐसे प्राधिकारी को अपनी शिकायतों के प्रतितोष के लिए अभ्यावेदन कर सकेगा जो ओम्बुड्समैन के नाम से ज्ञात हो और जिसे राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या पदाभिहित किया जाएगा।

(7) ओम्बुड्समैन, उपभोक्ता की शिकायतों को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से तय करेगा जो राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(8) उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) के उपबंध ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जो उपभोक्ता को उन उपधाराओं द्वारा उसे प्रदत्त अधिकारों से अलग हों।

अनुरोध पर प्रदाय करने का कर्तव्य।

43. (1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे परिसरों को ऐसे प्रदाय की अपेक्षा करने वाले आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर, विद्युत का प्रदाय करेगा:

परंतु जहां ऐसे प्रदाय में वितरण मुख्य तारों का विस्तार करना या नए उपकेन्द्र आंरभ करना अपेक्षित है वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसा विस्तार या आरंभ करने के तुरंत पश्चात् या ऐसी अवधि के भीतर, जो समुचित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे परिसर को विद्युत का प्रदाय करेगा:

परंतु यह और कि ऐसे ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र की दशा में, जिनमें विद्युत प्रदाय के लिए कोई व्यवस्था विद्यमान नहीं है, समुचित आयोग, उक्त अवधि को ऐसी अवधि के लिए, विस्तारित कर सकेगा जिसे ऐसे ग्राम या उपग्राम या क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिए यह आवश्यक समझे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''आवेदन'' से ऐसा आवेदन अभिप्रेत है, जो आवश्यक प्रभारों के संदाय और अन्य अनुपालनों को दर्शाने वाले दस्तावेजों सहित, वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथा अपेक्षित समुचित प्ररूप में सभी प्रकार से पूर्ण हैं।

(2) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी का, यदि अपेक्षित हो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट परिसर में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन का उपबंध करने का कर्तव्य होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे किसी परिसर के लिए जहां पृथक् रूप से प्रदाय किया जाता है, विद्युत प्रदाय की मांग करने या प्राप्त करते रहने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने अनुज्ञप्तिधारी के साथ ऐसी कीमत जो समुचित आयोग द्वारा अवधारित की जाए, के संदाय का करार न किया हो।

(3) यदि कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्युत प्रदाय करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा जो व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक हो सकेगी।

विद्युत प्रदाय करने के कर्तव्य के अपवाद।

44. धारा 43 की किसी बात से किसी परिसर को विद्युत का प्रदाय करने के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि वह ऐसा करने के चक्रवात, बाढ़, तूफान या उसके नियंत्रण से परे अन्य घटनाओं के कारण निवारित हो गया है।

प्रभारों को वसूल करने की शक्ति।

45. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 43 के अनुसरण में उसके वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के प्रदाय के लिए प्रभारित कीमत ऐसे टैरिफ, जो समय-समय पर नियत किया जाए और उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार होगी।

(2) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत के प्रभार—

(क) ऐसी पद्धति और सिद्धांतों के अनुसार नियत किए जाएंगे जो संबंधित राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(ख) ऐसी रीति में प्रकाशित किए जाएंगे जिससे ऐसे प्रभारों और कीमतों को पर्याप्त प्रचार मिले।

(3) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय की गई विद्युत के प्रभारों में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे,–

(क) वास्तविक रूप से प्रदाय की गई विद्युत के लिए प्रभार के अतिरिक्त कोई नियत प्रभार;

(ख) विद्युत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी विद्युत मीटर या विद्युत संयंत्र की बाबत कोई किराया या अन्य प्रभार।

(4) धारा 62 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन प्रभार नियत करते समय कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को कोई असम्यक् अधिमान नहीं देगा या पक्षपात नहीं करेगा।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत प्रभार, इस अधिनियम के उपबंधों और सम्बद्ध राज्य आयोग द्वारा इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगे।

व्यय वसूल करने की शक्ति।

46. राज्य आयोग, विनियमों द्वारा, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, 43 के अनुसरण में विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करने वाले व्यक्ति से उस प्रदाय को देने के प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई किसी विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र को उपलब्ध कराने में युक्तियुक्त रूप से उपगत किन्हीं व्ययों को प्रभारित करने के लिए, प्राधिकृत कर सकेगा।

प्रतिभूति की अपेक्षा करने की शक्ति।

47. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति से, जो धारा 43 के अनुसरण में विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है, उसको ऐसी युक्तियुक्त प्रतिभूति देने के अपेक्षा कर सकेगा जो ऐसे सभी धन के, जो निम्नलिखित के लिए, उसको देय हो जाएं, संदाय के लिए विनियमों द्वारा अवधारित की जाए –

(क) ऐसे व्यक्ति को प्रदाय की गई विद्युत की बाबत; या

(ख) जहां ऐसे व्यक्ति को विद्युत प्रदाय के लिए कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र या विद्युत मीटर उपलब्ध कराया जाता है, वहां ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर की बाबत,

और यदि वह व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझे, उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, विद्युत का प्रदाय करने से या लाइन या संयंत्र या मीटर उपलब्ध कराने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में उल्लिखित ऐसी प्रतिभूति नहीं दी है या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिभूति अविधिमान्य या अपर्याप्त हो गई है, वहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी सूचना द्वारा, उस व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह सूचना की तामील से तीस दिन के भीतर ऐसे सभी धन के संदाय के लिए जो विद्युत के प्रदाय या ऐसी लाइन या संयंत्र या मीटर की बाबत उसको देय हो जाएं, उसे युक्तियुक्त प्रतिभूति दे।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि वह ठीक समझे, उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है विद्युत के प्रदाय को रोक सकेगा।

* * * * *

प्रदाय के अतिरिक्त निबंधन।

48. कोई वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जो धारा 43 के अनुसरण में विद्युत के प्रदाय की अपेक्षा करता है, निम्नलिखित को स्वीकार करने की अपेक्षा कर सकेगा –

* * * * *

(ख) उस व्यक्ति की उपेक्षा के परिणामस्वरूप हुई आर्थिक हानि के लिए जिसे विद्युत प्रदाय की गई है, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी दायित्व को निर्बन्धित करने वाले कोई निबंधन।

विद्युत के प्रदाय या क्रय की बाबत करार।

49. जहां समुचित आयोग ने धारा 42 के अधीन कतिपय उपभोक्ताओं को निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की है वहां ऐसे उपभोक्ता, धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (घ) में अंतर्विष्ट उपबंधों के होते हुए भी, विद्युत के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर (टैरिफ सहित) जो ऐसे उपभोक्तओं द्वारा ऐसे व्यक्ति के साथ करार की जाए, प्रदाय या क्रय के लिए किसी व्यक्ति के साथ करार कर सकेगा।

विद्युत प्रदाय कोड।

50. राज्य आयोग, विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के बिलों के अंतरालों, उसके असंदाय के लिए विद्युत के प्रदाय की लाइन को काटने, विद्युत प्रदाय के प्रत्यावर्तन, विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति को रोकने के लिए उपाय, प्रदाय की लाइन को काटने और मीटर को हटाने के लिए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के प्रवेश, विद्युत लाइनें या विद्युत संयंत्रों या मीटर को बदलने, परिवर्तित करने या उनके अनुरक्षण के लिए प्रवेश और ऐसे अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए एक विद्युत प्रदाय कोड विनिर्दिष्ट करेगा।

* * * * *

विद्युत के पारेषण और प्रयोग का नियंत्रण।

54. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्यथा छूट प्राप्त के सिवाय, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या राज्य पारेषण उपयोगिता, या किसी अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति को,—

(क) किसी मार्ग पर या

(ख) किसी ऐसे स्थान पर,—

(i) जिसमें 100 या उससे अधिक व्यक्तियों के आमतौर पर जमा होने की संभावना है, या

(ii) जो कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्थान्तर्गत कारखाना है या खान अधिनियम, 1952 के अर्थान्तर्गत कोई खान है, या 1948 का 62 1952 का 35

(iii) जिसको राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस उपधारा के उपबंधों का लागू होना घोषित करे,

पारेषण के आरंभ या विद्युत के प्रयोग के पूर्व, यथास्थिति, विद्युत निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त को अपने आशय की लिखित रूप में कम-से-कम सात दिन की सूचना दिए बिना जिसमें विद्युत स्थापन और संयंत्र, यदि कोई हो, की विशिष्टियां, प्रदाय की प्रकृति और प्रयोजन हो और इस अधिनियम के भाग 17 के ऐसे उपबंधों का जो लागू हो सकते हो, पालन करता हो, 250 वाट और 100 वोल्ट से अधिक दर पर विद्युत का पारेषण या उपयोग नहीं करेगा:

परंतु इस धारा की कोई बात, रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी रेल या ट्राम पर यात्रियों, जीव जन्तुओं या माल के सार्वजनिक वहन के लिए या किसी रेल या ट्राम के चल स्टाक की विद्युत व्यवस्था या संवातन के लिए प्रयुक्त विद्युत को लागू नहीं होगी। 1989 का 24

* * * * *

मीटर का उपयोग आदि।

55. (1) * * * * *

(2) प्राधिकरण, विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण या व्यापार के उचित लेखा और संपरीक्षा के लिए, उत्पादन कंपनी या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे प्रक्रमों पर और उत्पादन, पारेषण या वितरण या व्यापार के ऐसे स्थानों पर जो वह आवश्यक समझे मीटरों के संस्थापन का निदेश दे सकेगा।

* * * * *

भाग 7

टैरिफ

टैरिफ विनियमन।

61. समुचित आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करते समय निम्नलिखित से मार्गदर्शित होगा, अर्थात्:—

* * * * *

(घ) उपभोक्ता हितों के संरक्षण के साथ-साथ युक्तियुक्त रीति से विद्युत लागत की वसूली;

* * * * *

(ज) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत के सह-उत्पादन और उत्पादन का संवर्धन;

(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति:

* * * * *

टैरिफ का अवधारणा।

62. (1) समुचित आयोग, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित के लिए टैरिफ का अवधारण करेगा—

(क) उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का प्रदाय:

परंतु समुचित आयोग, विद्युत के प्रदाय में कमी की दशा में, उत्पादन कंपनी और किसी अनुज्ञप्तिधारी के बीच या अनुज्ञप्तिधारियों के बीच किए गए किसी करार के अनुसरण में विद्युत के विक्रय या क्रय के लिए, विद्युत की युक्तियुक्त कीमतें सुनिश्चित करने के लिए, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए टैरिफ की न्यूनतम और अधिकतम सीमा नियत कर सकेगा;

(ख) विद्युत का पारेषण;

(ग) विद्युत का चक्रण;

(घ) विद्युत का खुदरा विक्रय:

परंतु एक ही क्षेत्र मे दो या अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत के वितरण की दशा में समुचित आयोग, विद्युत अनुज्ञप्तिधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा के संवर्धन के लिए विद्युत के फुटकर विक्रय के लिए टैरिफ की केवल अधिकतम सीमा नियत कर सकेगा।

(2) समुचित आयोग, किसी अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से ऐसे पृथक् ब्यौरे भेजने की अपेक्षा कर सकेगा जो टैरिफ के अवधारण के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण के संबंध में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) समुचित आयोग, इस अधिनियम के अधीन टैरिफ का अवधारण करते समय, विद्युत के किसी उपभोक्ता के प्रति अनुचित अधिमान दर्शित नहीं करेगा किंतु उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टता और किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विद्युत की कुल खपत या वह समय जिसमें प्रदाय अपेक्षित है या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय की प्रकृति और वह प्रयोजन जिसके लिए प्रदाय अपेक्षित है, के अनुसार भेद कर सकेगा।

(4) किसी टैरिफ या उसके किसी भाग का साधारणतया किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक संशोधन नहीं किया जाएगा सिवाय ऐसे परिवर्तनों के संबंध में जिन्हें किसी ईंधन अधिभार सूत्र, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, के निबंधनों के अधीन अभिव्यक्त रूप से अनुज्ञात किया गया हो।

(5) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह टैरिफ और प्रभारों से प्रत्याशित राजस्व की गणना के लिए, जिन्हें वसूल करने के लिए उसे अनुज्ञात किया गया है, ऐसी प्रक्रिया का जो विनिर्दिष्ट की जाए, पालन करे।

(6) यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, इस धारा के अधीन अवधारित टैरिफ से अधिक कीमत या प्रभार वसूल करता है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपगत किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति द्वारा, जिसने ऐसी कीमत या प्रभार का संदाय किया है, बैंक दर के समतुल्य ब्याज सहित अधिक ली गई राशि वसूल की जा सकेगी।

* * * * *

64.(1) * * * * * टैरिफ आदेश के लिए प्रक्रिया।

(3) समुचित आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति से एक सौ बीस दिन के भीतर जनता से प्राप्त सभी सुझावों और आपेक्षों पर विचार करने के पश्चात्—

(क) ऐसे उपांतरणों और ऐसी शर्तों के साथ जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवेदन को स्वीकार करते हुए टैरिफ आदेश जारी करेगा;

(ख) यदि ऐसा आवेदन इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार नहीं है तो लेखबद्ध किए गए कारणों से आवेदन को नामंजूर करेगा:

परंतु आवेदक को उसका आवेदन नामंजूर करे से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

* * * * *

66. समुचित आयोग, विद्युत बाजार (जिसके अंतर्गत व्यापार भी है) के विकास का ऐसी रीति में जो विनिर्दिष्ट की जाए, संवर्धन करने का प्रयास करेगा और इस संबंध में, धारा 3 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय विद्युत नीति से मार्गदर्शित होगा। बाजार का विकास।

भाग 8

संकर्म

अनुज्ञप्तिधारियों के संकर्म

मार्गों, रेलों, आदि को खोलने के संबंध में उपबंध।

67. (1) अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर किंतु सदैव अपनी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रदाय और पारेषण के अपने क्षेत्र के भीतर या जब प्रदाय के क्षेत्र के बाहर विद्युत प्रदाय लाइनें बिछाने या रखने के लिए उसकी अनुज्ञप्ति के निबंधनों द्वारा अनुज्ञात किया जाए, अपने क्षेत्र के बाहर, निम्न प्रकार के संकर्म कर सकेगा,—

(क) किसी मार्ग, रेलपथ या ट्रामपथ की भूमि और पटरी को खोदना और काटना;

(ख) किसी मार्ग, रेलपथ या ट्रामपथ में या उसके नीचे किसी सीवर, नाली या सुरंग को खोदना या काटना;

(ग) किन्हीं लाइनों, संकर्मों या पाइपों की स्थिति, जो मुख्य सीवर पाइप से भिन्न हैं, बदलना;

(घ) विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्र और अन्य संकर्मों का बिछाना और स्थित करना;

(ङ) उनकी मरम्मत करना, परिवर्तन करना या हटाना;

(च) विद्युत के पारेषण या प्रदाय के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य करना।

* * * * *

शिरोपरि लाइनों के संबंध में उपबंध

शिरोपरि लाइनों के संबंध में उपबंध।

68. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से कोई शिरोपरि लाइन भूमि के ऊपर संस्थापित की जाएगी या संस्थापित रखी जाएगी।

* * * * *

(5) जहां किसी शिरोपरि लाइन के निकट खड़े या पड़े कोई वृक्ष या जहां कोई संरचना या अन्य वस्तु जो ऐसी लाइन बिछाने के पश्चात्वर्ती किसी शिरोपरि लाइन के निकट रखी गई है या गिर गई है, विद्युत के प्रवहण या पारेषण या किसी संकर्म के पहुंच मार्ग को अवरुद्ध करती है या बाधा डालती है या अवरुद्ध करने या बाधा डालने की संभावना है, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट या समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर उस वृक्ष, संरचना या वस्तु को हटवा सकेगा या अन्यथा ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट या उस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, शिरोपरि लाइन के लगाने के पूर्व विद्यमान किसी वृक्ष की दशा में, उस वृक्ष से हितबद्ध व्यक्ति को उतना प्रतिकर प्रदान करेगा जितना वह उचित समझे और ऐसा व्यक्ति उसे अनुज्ञप्तिधारी से वसूल कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''वृक्ष'' पद में कोई झाड़ी, बाड़े, जंगली घास या अन्य पौधे सम्मिलित हैं।

* * * * *

भाग 9

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

प्राधिकरण का गठन और उसके कृत्य

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का गठन, आदि।

70. (1) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के नाम से एक निकाय होगा।

1948 का 54

(2) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित और नियत तारीख से ठीक पूर्व उस रूप में कार्य कर रहा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण होगा और उसके अध्यक्ष, सदस्य, सचिव और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और वे उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद पर बने रहेंगे जिन पर वे विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त किए गए थे।

(3) प्राधिकरण में चौदह से अनधिक सदस्य (जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है) होंगे जिनमें से आठ से अनधिक सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है, प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकेगी या पूर्णकालिक सदस्यों में से किसी एक को प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगी।

(5) प्राधिकरण के सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जो इंजीनियरी, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र या औद्योगिक विषयों से संबंधित समस्याओं का ज्ञान और पर्याप्त अनुभव और क्षमता रखने वाले हों और कम से कम एक सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों में से प्रत्येक प्रवर्ग से नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) उत्पादन केंद्रों के डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और उसके अनुरक्षण में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी;

(ख) विद्युत के पारेषण और प्रदाय में विशेषज्ञता के साथ इंजीनियरी;

(ग) विद्युत के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त गवेषणा;

(घ) अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, लेखा, वाणिज्य या वित्त।

(6) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सभी सदस्य केंद्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।

(7) अध्यक्ष, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा।

(8) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा।

(9) प्राधिकरण, मुख्यालय या किसी अन्य स्थान पर ऐसे समय पर, जो अध्यक्ष निदेश दे, अधिवेशन करेगा और अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अंतर्गत इसके अधिवेशन में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे।

(10) अध्यक्ष या यदि वह प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है वहां, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(11) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आते हैं, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(12) प्राधिकरण के सभी आदेशों और विनिश्चयों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(13) प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी या अविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान है।

(14) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्य ऐसा वेतन और ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं और अन्य सदस्य प्राधिकरण के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

(15) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें जिनमें उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उनकी पदावधि भी है वह होगी जो केन्द्रीय सरकार विहित करे।

* * * * *

सदस्यों की सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन।

78. (1) केन्द्रीय सरकार, अपील अधिकरण के सदस्यों और केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति का गठन करेगी—

(क) विद्युत सेक्टर या भारसाधक योजना आयोग का सदस्य — अध्यक्ष;

(ख) विधि कार्य विभाग से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय — सदस्य;
का भारसाधक सचिव

(ग) लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष — सदस्य;

(घ) एक व्यक्ति जो उपधारा (2) के अनुसार केंद्रीय सरकार — सदस्य;
द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा

(ङ) एक व्यक्ति जो उपधारा (3) के अनुसार केन्द्रीय सरकार — सदस्य;
द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा

(च) विद्युत से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय — सदस्य।
का भारसाधक सचिव

* * * * *

केन्द्रीय आयोग के कृत्य।

79. (1) केन्द्रीय आयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(ग) विद्युत के अंतरराज्यिक पारेषण को विनियमित करना;

* * * * *

राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के लिए चयन समिति का गठन।

85. (1) राज्य सरकार, राज्य आयोग के सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए, एक चयन समिति का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

(क) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है —अध्यक्ष;

(ख) संबद्ध राज्य का मुख्य सचिव —सदस्य;

(ग) प्राधिकरण का अध्यक्ष या केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष —सदस्य:

परंतु इस धारा की कोई बात अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, की नियुक्ति को लागू नहीं होगी।

* * * * *

86. (1) राज्य आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:— राज्य आयोग के कृत्य।

(क) राज्य के भीतर, यथास्थिति, थोक, प्रपुंज या फुटकर विद्युत के उत्पादन, प्रदाय, पारेषण और चक्रण के लिए टैरिफ अवधारित करना:

परंतु जहां उपभोक्ताओं के किसी प्रवर्ग के लिए धारा 43 के अधीन निर्बाध पहुंच अनुज्ञात की गई है, वहां राज्य आयोग उपभोक्ताओं के उक्त प्रवर्ग के लिए केवल चक्रण प्रभारों और उस पर अधिमार, यदि कोई हो, का ही अवधारण करेगा;

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत क्रय और उपापन प्रक्रिया को विनियमित करना जिसके अंतर्गत वह कीमत भी है जिस पर विद्युत, राज्य में वितरण और प्रदाय के लिए विद्युत क्रय के करारों के माध्यम से उत्पादन कंपनियों या अनुज्ञप्तिधारियों से या अन्य स्रोतों से उपाप्त की जाएगी;

(ग) विद्युत के अंत:राज्यिक पारेषण और चक्रण को सुकर बनाना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को, जो राज्य में अपनी संक्रियाओं की बाबत पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और विद्युत व्यापारियों के रूप में कार्य करने के इच्छुक हैं, अनुज्ञप्तियां जारी करना;

(ङ) किसी व्यक्ति को, विद्युत की ग्रिड के साथ संयोजकता और उसके विक्रय के लिए उपयुक्त साधन उपलब्ध कराते हुए ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से सह-उत्पादन और उत्पादन और ऐसे स्रोतों से विद्युत के क्रय के लिए किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत की कुल खपत का प्रतिशत भी विनिर्दिष्ट करना;

(च) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच विवादों पर न्यायनिर्णयन करना और किसी विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करना;

(छ) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फीस उद्गृहीत करना;

(ज) धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड से संगत राज्य ग्रिड विनिर्दिष्ट करना;

(झ) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सेवा की क्वालिटी, निरन्तरता और विश्वसनीयता की बाबत मानदंड विनिर्दिष्ट या प्रवर्तित करना;

(ञ) विद्युत के अंतरराज्यिक व्यापार में, यदि आवश्यक समझा जाए, तो व्यापार लाभ मार्जन नियत करना;

(ट) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसे समुदेशित किए जाएं।

* * * * *

समुचित आयोग—अन्य उपबंध

89. (1) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा: सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

परन्तु केन्द्रीय आयोग या राज्य आयोग में अध्यक्ष या अन्य सदस्य उस आयोग में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसी हैसियत में पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसमें वह पहले उस रूप में पद धारित करता था:

परंतु यह और कि कोई अध्यक्ष या सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु सदस्यों के वेतन, भत्तों और सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक सदस्य, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसे प्राधिकारी के समक्ष, जो विहित किया जाए, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य —

(क) समुचित सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 90 के उपबंधों के अनुसार अपने पद से हटाया जा सकेगा।

(5) कोई सदस्य, उस रूप में पाने पद पर न रह जाने पर —

(क) उस तारीख से जिसको वह अपने पद पर नहीं रह जाता है, दो वर्ष की अवधि तक कोई वाणिज्यिक नियोजन स्वीकार नहीं करेगा; और

(ख) केन्द्रीय आयोग या किसी राज्य आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति का किसी भी रीति से प्रतिनिधित्व नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''वाणिज्यिक नियोजन'' से किसी ऐसे संगठन में जो समुचित आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई पक्षकार रहा है, किसी हैसियत में नियोजन या विद्युत उद्योग में व्यापार, वाणिज्यिक, औद्योगिक या वित्तीय कारबार में लगे हुए किसी व्यक्ति के अधीन या उसके अभिकरण में किसी हैसियत में नियोजन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कंपनी का निदेशक या फर्म का भागीदार या ऐसा व्यक्ति भी है, जो स्वतंत्र रूप से या फर्म के भागीदार के रूप में या किसी सलाहकार या परामर्शी के रूप में व्यवसाय स्थापित कर रहा है।

* * * * *

समुचित आयोग की शक्तियां।

94. (1) * * * * *

(3) समुचित आयोग, अपने समक्ष कार्यवाहियों में उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे।

* * * * *

अपील प्राधिकारी को अपील।

127. (1) धारा 126 के अधीन किए गए अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त आदेश से तीस दिन के भीतर, ऐसे अपील प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति से सत्यापित और ऐसी फीस के साथ अपील कर सकेगा, जो राज्य आयोग द्वारा विहित की जाए।

* * * * *

भाग 13

बोर्ड का पुनर्गठन

बोर्ड की संपत्ति का राज्य सरकार में निहित होना।

131. (1) * * * * *

* * * * *

समुचित आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

142. यदि किसी व्यक्ति द्वारा समुचित आयोग के समक्ष कोई शिकायत फाइल की जाती है या यदि उस आयोग का समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों का विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या आयोग द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों का उल्लंघन किया है, तो समुचित आयोग ऐसे व्यक्ति को, मामले में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी अन्य शास्ति पर जिसके लिए वह इस अधिनियम के अधीन दायी होगा, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लिखित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में प्रत्येक उल्लंघन के लिए ऐसी रकम का संदाय करेगा जो एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और लगातार असफलता की दशा में ऐसी अतिरिक्त शास्ति का, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसे निदेश के प्रथम उल्लंघन के पश्चात् असफलता बनी रहती है, संदाय करेगा जो छह हजार रुपए तक हो सकेगी।

* * * * *

आदेशों या निदेशों के अननुपालन के लिए दंड।

146. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का ऐसे समय के भीतर जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या दुष्प्रेरण करेगा, वह प्रत्येक अपराध की बाबत ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर असफल रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता ऐसे अपराध के प्रथम सिद्धदोष होने के पश्चात् जारी रहती है पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा:

परंतु यह कि इस धारा की कोई बात धारा 121 के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निदेशों को लागू नहीं होगी।

* * * * *

कंपनियों द्वारा अपराध।

149. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

* * * * *

भाग 18

प्रकीर्ण

समन्वय मंच।

166. (1) * * * * *

(2) केन्द्रीय सरकार एक विनियामक मंच का भी गठन करेगी जिसमें केन्द्रीय आयोग का अध्यक्ष और राज्य आयोगों के अध्यक्ष होंगे।

* * * * *

(4) राज्य सरकार, राज्य में विद्युत प्रणाली के अबाध और समन्वित विकास के लिए एक समन्वय मंच का गठन करेगी जिससें राज्य आयोग का अध्यक्ष और उसके सदस्य, उक्त राज्य में विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगी उत्पादक कंपनियों और पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिनिधि होंगे।

* * * * *

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

176. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध हो सकेगा, अर्थात्:—

* * * * *

(छ) धारा 70 की उपधारा (14) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते और फीस;

(ज) धारा 70 की उपधारा (15) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

* * * * *

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्तियां।

177. (1) * * * * *

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित किन्हीं या सभी विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 34 के अधीन ग्रिड मानक;

* * * * *

GMGIPMRND—3705LS(S3)—16-12-2014.

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 का शुद्धिपत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
8	8	अपर्याप्तता	पर्याप्तता
8	30	से वहां ऐसे फ्रेंचाइजी करता था	करता था वहां ऐसे फ्रेंचाइजी से
10	5	और उसको वितरण	और यथास्थिति, उस वितरण
11	1	जब ऐसी	जब कभी ऐसी
12	21	"आवेदन" से	"आवेदन" पद से
15	13	के प्रदाय	की प्रदाय
16	29	करके या उससे अधिक ब्याज	करके ब्याज
17	7	संविदा	कोड
17	27 और 28	भूमिगत रेल	मेट्रो रेल
21	19	संनिमार्ण	संनिर्माण
22	10 पार्श्वशीर्ष	--	धारा 78 का संशोधन ।
29	19	बहुविद्	बहुविध
36	39	से, एक	से, जो एक